

[2023] 5 एस.सी.आर 800

प्रेम सिंह

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य

(आपराधिक अपील सं. 01/2023)

02 जनवरी, 2023

[न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया]

दंड संहिता, 1860 - धाराएं 302, 201 व धारा 84 - हत्या - साक्ष्य का गायब होना - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - प्रशंसा - मानसिक अक्षमता का अभिवचन - स्वीकार्यता - अपीलार्थी के खिलाफ आरोप कि वह अपने लगभग 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु के दो बेटों को एक नहर के पास ले गया, उनका गला घोटकर हत्या कर दी, और उनके शवों को नहर में फेंक दिया - विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा - अभिनिर्धारित: विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितियों की ठोस और विश्वसनीय श्रृंखला द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया था, जो केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करता है, जिसने पीड़ित बच्चों, उसके बेटों की गला घोटकर हत्या की और शवों को नहर में फेंककर

अपराध के साक्ष्य को गायब कर दिया - दी गई परिस्थितियों में, जब मृत बच्चों को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, जो कोई और नहीं बल्कि उनका पिता था और जब उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, तो अपीलार्थी पर अपने बेटों की मृत्यु के लिए तथ्यों को स्पष्ट करने का भार, विद्यमान था, जिसे विशेष रूप से उसके ज्ञान में होना माना जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 ने अपीलार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की - लेकिन उसकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और घटना के तुरंत बाद, उसने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने का एक झूठा आख्यान बनाने का प्रयास किया - यह निवेदन कि अपनी पत्नी के साथ अपीलार्थी के तनावपूर्ण संबंध बच्चों की हत्या के लिए पर्याप्त उद्देश्य प्रदान नहीं कर सकते हैं, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रस्तावित उद्देश्य यह था कि अपीलार्थी को मृत बच्चों के पिता होने पर संदेह था और शक था कि वे उसके बेटे नहीं थे - यह निवेदन कि अपीलार्थी को कथित रूप से मानसिक क्षमता की कमी का लाभ दिया जाना चाहिए - भी आधारहीन है - अभिलेख पर साक्ष्य, समग्र रूप से लिए जाने पर, सबसे अधिक दर्शाता है कि अपीलार्थी नशे का आदी था। हालाँकि, अपीलार्थी न तो किसी चिकित्सकीय रूप से निर्धारित मानसिक बीमारी से पीड़ित था और न ही उसे विकृत चित्त की विधिक विकलांगता के तहत आने वाला व्यक्ति कहा जा सकता था - इसलिए, न तो वर्तमान मामले में भा.दं.सं. की धारा 84 लागू होती है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 अपीलार्थी के बचाव में आएगी - इसलिए, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 329।

दंड संहिता, 1860 - धारा 84 - हत्या के आरोप - मन की अस्वस्थता के अनुरोध के संदर्भ में प्रमाण का भार - अभिनिर्धारित: साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के संदर्भ में परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार अभियुक्त पर लागू होता है ताकि मामले को भा.दं.सं. सी. की धारा 84 के दायरे में लाया जा सके - जहां अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, वहां यह साबित करने का भार कि मानसिक अस्वस्थता के परिणामस्वरूप, अभियुक्त अपने कृत्यों के परिणामों को जानने में असमर्थ था, बचाव पक्ष पर है, जैसा कि दृष्टान्त (क) से लेकर साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 तक - विधि का अधिदेश यह है कि न्यायालय परिस्थितियों की अनुपस्थिति में अनुमान लगाएगा ताकि मामले को भा.दं.सं. में किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर लाया जा सके - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 105।

आपराधिक विचारण - उद्देश्य - उद्देश्य, जब साबित होता है, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है - लेकिन, इसकी अनुपस्थिति में, अपने आप में, अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है; हालाँकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति में एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है - जब अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त - अपीलार्थी के अपराध को साबित करता है, तो उद्देश्य से संबंधित कारक साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से जनित निष्कर्षों को विस्थापित या दुर्बल नहीं कर सकता है।

भारत का संविधान- अनुच्छेद 136 - विशेष अनुमति द्वारा अपील - नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में भेद।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:

परिस्थितियों की श्रृंखला, अंतिम बार देखा गया सिद्धांत, धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

1.1. जब अभिलेख पर साक्ष्य और आसपास के कारकों द्वारा स्थापित तथ्यों को एक साथ रखा जाता है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला अचूक रूप से यह थी कि मृतक बच्चों को अंततः अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था; उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी और ज़ाहिर है, उनकी मृत्यु प्रकृति में मानव वध की थी; उनके शव नहर से बरामद किए गए थे; और अपीलार्थी ने यह पेश करने का प्रयास किया कि वे गलती से नहर में गिर गए थे। दी गई परिस्थितियों में, जब मृतक बच्चे अपीलार्थी के साथ थे, जो उनके पिता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था और जब उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, तो अपीलार्थी पर अपने बेटों की मृत्यु के लिए तथ्यों को स्पष्ट करने का भार, आवश्यक रूप से विद्यमान था। जिसे विशेष रूप से उसके ज्ञान में होना माना जाएगा। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत अपीलार्थी के विरुद्ध अत्यंत क्रियाशील है। [पैरा 16.4] [850-जी-एच; 851-ए-बी]

1.2. बेशक, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य को साबित करे, लेकिन जब वास्तव में

आवश्यक साक्ष्य को साबित किया गया था, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में अपीलार्थी पर यह समझाने का भारी भार था कि घटना के समय क्या हुआ था और मृतक की मृत्यु कैसे हुई थी। अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और, जैसा कि देखा गया है, घटना के तुरंत बाद, उसने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने की झूठी कहानी बनाने का प्रयास किया। अपीलार्थी की ओर से भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। [पैरा 16.4.1.] [851-सी-डी]

उद्देश्य का प्रश्न

2.1. जैसा कि देखा गया है, उद्देश्य, जब साबित होता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है, लेकिन इसका अभाव, अपने आप में, अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है; हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य का अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में होता है। [पैरा 17.1] [851-एफ-जी]

2.2. हमारे विचार में, वर्तमान मामले में उद्देश्य के प्रश्न की जांच केवल अपीलार्थी की पत्नी की गवाही के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, जिसने यह स्वीकार करते हुए भी कि उसने बच्चों को अपीलार्थी के साथ छोड़ दिया है और उसके बाद केवल उनके निधन के बारे में सुना है, अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों का समर्थन नहीं करना चुना गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के कम से कम तीन गवाहों ने उसकी गवाही का खंडन किया है। उनमें से दो, अभि.सा.-7 महेंद्र कुमार यादव और अभि.सा.-8 राजेंद्र यादव जो उसके चाचा थे, जिन्होंने कहा कि अपीलार्थी और उसकी

पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और अपीलार्थी को उसकी पत्नी के चरित्र के साथ-साथ बच्चों के पिता होने पर भी संदेह था। यहां तक कि अपीलार्थी के भाई अभि.सा.-5 बिशन सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ गवाही देने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में इस तथ्य की गवाही दी कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी के संबंधों में तनाव था। यह निवेदन कि अपीलार्थी का अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध बच्चों की हत्या के लिए पर्याप्त उद्देश्य प्रदान नहीं करता है, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रस्तावित उद्देश्य यह था कि अपीलार्थी को मृत बच्चों के पिता होने पर संदेह था और शक था कि वे उसके बेटे नहीं थे। [पैरा 17.2] [851-जी-एच; 852-ए-सी]

2.3. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जब अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को असंदिग्ध रूप से साबित करता है, तो उद्देश्य से संबंधित कारक साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से आने वाले निष्कर्षों को विस्थापित या दुर्बल नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले को पूरी तरह से उद्देश्य विहीन नहीं कहा जा सकता है। अलग-अलग शब्दों में कहें तो, हमारे विचार में, जब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लिया जाता है, तो वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी गुम थी, जिससे केवल अपीलार्थी के अपराध का निष्कर्ष निकलता है। [पैरा 17.3] [852-डी]

मानसिक अक्षमता की याचिका

3.1. अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि अभियुक्त ने बच्चों की हत्या करने और

सबूतों को गायब करने के अपराध किए हैं। आसपास के अन्य कारकों से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध करने के तरीके और अपीलार्थी द्वारा झूठे आख्यानो को पेश करने के संदर्भ में आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति को साबित किया है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, मानसिक अस्वस्थता के संबंध में प्रस्तुत किए जाने पर, वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी यह स्थापित करने में समर्थ रहा है कि अपराध करने के समय वह उन्मत्त था या अभिलेख पर कुछ भी पेश किया गया है जिसके लिए आपराधिक मनःस्थिति के संबंध में एक उचित संदेह भी माना जा सकता है? हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है। [पैरा 22] [856-डी-ई]

3.2. अभिलेख पर साक्ष्य, समग्र रूप से लिए जाने पर, अधिक से अधिक यह दर्शाता है कि अपीलार्थी शराब का आदी था और उसे नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। हालांकि, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी बिल्कुल नहीं है कि अपीलार्थी को चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में माना गया था या विधिक रूप से अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में लिया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी की ओर से दिए गए सुझावों के विपरीत, पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक अभि.सा.-3 जगबीर की गवाही स्पष्ट और विशिष्ट थी कि केंद्र में रहने के दौरान, अपीलार्थी में कोई मानसिक बीमारी नहीं देखी गई थी और न ही उसका किसी मानसिक बीमारी के लिए इलाज किया गया था। अभि.सा.-3 ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपीलार्थी का व्यवहार 'उसके कथित प्रवास के दौरान सामान्य था और उसे कभी भी मानसिक बीमारी के लिए कोई दवा नहीं दी गई क्योंकि न तो उसमें कोई मानसिक

बीमारी देखी गई थी और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने हमें किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का कोई पूर्व इतिहास दिया।' अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने यह कहते हुए अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में किसी भी संदेह को दूर कर दिया कि अपीलार्थी 'हमारे केंद्र में रहने के दौरान मानसिक रूप से स्वस्थ एवं तंदुरुस्त था और उसे केवल शराब पीने की आदत की लत से मुक्ति के लिए भर्ती किया गया था।' इसलिए, अपीलार्थी का केवल शराब की लत का मामला था। प्रबंधक, अभि.सा.-3, ने निश्चित रूप से यह राय दी कि अपीलार्थी को 7 से 9 महीने की अवधि का कोर्स पूरा करना चाहिए था और परिवार के सदस्यों ने उसे सलाह के खिलाफ छुट्टी दिला दी थी, लेकिन इस कथन का मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी को अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए था। वास्तव में, अपीलार्थी 5 महीने से अधिक की अवधि के लिए पुनर्वास केंद्र में दिनांक 20.11.2008 से दिनांक 29.04.2009 तक भर्ती रहा और जैसा कि ऊपर देखा गया है, वह कभी भी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया ताकि उसे अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति माना जा सके। [पैरा 23] [856-एफ-एच; 857-ए-सी]

3.3. यह भी देखा गया है कि मानसिक अस्वस्थता का अभिवचन और इसलिए, भा.दं.सं. सी. की धारा 84 का लाभ कभी भी विचारण में नहीं लिया गया था और न ही इस संबंध में कोई सबूत दिया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी की कथित मानसिक अक्षमता के बारे में अभियोजन पक्ष के लिए जांचे गए किसी भी गवाह को एक परोक्ष सुझाव भी नहीं दिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में, पुनर्वास केंद्र में उनके प्रवेश से संबंधित प्रश्नों और संबंधित तथ्यों पर अपीलार्थी

की प्रतिक्रिया यह थी कि वे पहलू 'अभिलेख का विषय' थे। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, हम अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं पा रहे हैं जिसके लिए भा.दं.सं. की धारा 84 का लाभ अपीलार्थी को परोक्ष रूप से भी दिया जा सके। [पैरा 24] [857-डी-ई]

3.4. इसके अलावा कि विचारण न्यायालय या अन्वेषण अभिकरण की ओर से कोई गलती नहीं थी, यह भी उल्लेखनीय है कि विचाराधीन अपराधों के समय अपीलार्थी की मानसिक क्षमता की कमी के बावजूद, अपराध करने का तरीका, एक-एक करके बच्चों का गला घोटना; उनके शवों को नहर में फेंकना; अपीलार्थी का स्वयं नहर में तैरना और बाहर आना; और इसके तुरंत बाद, कई लोगों के सामने यह कहना कि बच्चे गलती से नहर में फिसल गए थे ताकि इसे आकस्मिक रूप से डूबने के मामले के रूप में पेश किया जा सके, एक सतर्क एवं धूर्त मस्तिष्क दर्शाता है, जिसने बच्चों की मौत का कारण बनने और शवों को नहर में फेंककर सबूतों को गायब कर एक झूठे संस्करण से पथभ्रष्ट करने के विशिष्ट इरादे से काम किया था। बिना किसी तर्क के और बिना किसी आकलन के, अपीलार्थी, जिसने उपरोक्त सभी कुकर्म किए हैं, को विकृत चित्त वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। [पैरा 26] [859-डी-ई]

3.5. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी न तो किसी चिकित्सकीय रूप से निर्धारित मानसिक रोग से पीड़ित था और न ही उसे विकृत चित्त की विधिक विकलांगता के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए, न तो भा.दं.सं. की धारा 84 वर्तमान मामले पर लागू होती है और न ही दं.प्र.सं. की धारा 329 अपीलार्थी के बचाव में आएगी। [पैरा 27] [859-एफ]

3.6. कारागार में उसके असामान्य व्यवहार के लिए अपीलार्थी के उपचार के बारे में सुझाव भी उसके मामले को आगे नहीं ले जाते हैं। जैसा कि देखा गया है, अभिलेख में यह पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी अपराध करने के समय विकृत चित्त का व्यक्ति था या इस मामले में विचारित किए जाने पर विकृत चित्त का व्यक्ति था। जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, दोषसिद्धि पश्चात व्यवहार की शायद ही कोई प्रासंगिकता है। वास्तव में, उसकी दोषसिद्धि दोषसिद्धि असामान्यताओं, जैसा कि वर्ष 2013 में निपटा गया था, यानी, विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के लगभग दो वर्ष बाद, वर्तमान अपील के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक प्रश्नों के साथ सहसंबंध होना परोक्ष रूप से भी नहीं कहा जा सकता है। उस संबंध में भी, चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) केंद्रीय जेल संख्या 5, तिहाड़ नई दिल्ली की आख्या दिनांकित 22.07.2013 में कहा गया है कि अपीलार्थी को असामान्य व्यवहार की शिकायतों के लिए दिनांक 07.01.2013 से दिनांक 04.03.2013 तक मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और प्रमाण पत्र जारी करने के समय उसकी सामान्य स्थिति संतोषजनक थी और उसकी मानसिक स्थिति की जांच में किसी भी सकल मनोविकृति का पता नहीं चला। [पैरा 28] [859-जी-एच; 860-ए-बी]

3.7. इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया प्रतिविरोध, जिसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए प्रावधानों का लाभ दिया जाना है, स्वीकार्य नहीं है। उक्त प्रावधान किसी भी दृष्टिकोण से अपीलार्थी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करते हैं। [पैरा 29] [860-सी]

3.8. हम यह भी देख सकते हैं कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के समूह में, भले ही अपीलार्थी को अत्यधिक शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति दिखाया गया हो, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि क्या उसने नशे की स्थिति में अपमानजनक कार्य किए थे जिससे भा.दं.सं. की धारा 86 के अंतर्निहित सिद्धांतों के संदर्भ में इरादे के बारे में संदेह पैदा हो। हमें इस पहलू पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे सबूत में बिल्कुल भी पेश नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें इरादे से इनकार किया जा सके ताकि हत्या के अपराध को गैर इरादतन हत्या माना जा सके। भा.दं.सं. की धारा 304 में दोषसिद्धि को परिवर्तित करने के सुझावों को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता है। [पैरा 30] [860-सी-ई]

निष्कर्ष

4. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितियों की ठोस और विश्वसनीय श्रृंखला द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है, जो केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करते हुए, जो पीड़ित बच्चों, अपने बेटों की गला घोटकर उनकी मौत का कारण बना और शवों को नहर में फेंककर अपराध के साक्ष्य को भी गायब कर दिया। वर्तमान अपील के उद्देश्य के लिए प्रस्तुतियाँ विकसित हुईं कि अपीलार्थी को मानसिक क्षमता की कथित कमी का लाभ दिया जाए भी निराधार है और इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। [पैरा 31] [860-एफ-जी]

पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 एससीसी
ऑनलाइन एससी 176; शरद बिरधिचंद्र सारदा
बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 :
[1985] 1 एससीआर 88; हनुमंत बनाम मध्य
प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343 :
[1952] एससीआर 1091; साबित्री सामंतराय
बनाम ओडिशा राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन
एससी 673; त्रिमुख मरोटी किरकान बनाम
महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681 :
[2006] 7 पूरक एससीआर 156; सुद्रु बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 8 एससीसी 333; अनवर
अली और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
(2020) 10 एससीसी 166 : [2020] 9
एससीआर 878 और दहियाभाई छगनभाई ठक्कर
बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1964 एससी
1563 : [1964] 7 एससीआर 361 - अवलम्बित।

गुजरात राज्य बनाम मंजुबेन, 2019 एससीसी
ऑनलाइन गुज 6937 - लागू नहीं होना
अभिनिर्धारित किया गया।

अजय राम पंडित बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2022
एससीसी ऑनलाइन बॉम 3920 - विशिष्ट।

ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक, (1988) 2
एससीसी 602 : [1988] 1 पूरक एससीआर 1;
राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मामले मंत्रालय व
अन्य., 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1532;
बापू उपनाम गुजराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य,
(2007) 8 एससीसी 66 : [2007] 7 एससीआर
917 और श्रीकांत आनंदराव भोसले बनाम

महाराष्ट्र राज्य (2002) 7 एससीसी 748 :
[2002] 2 पूरक एससीआर 612 - संदर्भित।

एरिक डॉल्बी बनाम डेलावेयर राज्य [निर्णय
दिनांकित 02.03.2012 डेलावेयर राज्य के सर्वोच्च
न्यायालय का] - संदर्भित।

राजा-सम्राट बनाम तिनकोरी धोपी [कलकत्ता उच्च
न्यायालय का निर्णय], 1922 एससीसी ऑनलाइन
कैल 90 - संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

[1988] 1 पूरक एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 10.3.2
[2007] 7 एससीआर 917	संदर्भित	पैरा 11.4
[2002] 2 पूरक एससीआर 612	संदर्भित	पैरा 11.5
[1964] 7 एससीआर 361	अवलम्बित	पैरा 11.5
[1985] 1 एससीआर 88	अवलम्बित	पैरा 13
[1952] एससीआर 1091	अवलम्बित	पैरा 13
[2006] 7 पूरक एससीआर 156	अवलम्बित	पैरा 14.2
(2019) 8 एससीसी 333	अवलम्बित	पैरा 14.3
[2020] 9 एससीआर 878	अवलम्बित	पैरा 15

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील
सं. 01/2023

आपराधिक अपील सं. 879/2013 में नई दिल्ली स्थित
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित
29.02.2016 से।

शिकिल सूरी, श्रीमती मधु सूरी, सुश्री ज्योति सूरी, सुश्री महिमा अग्रवाल, सुश्री कोमल गुप्ता, सुश्री निधि, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण ।

शुभांशु पाधी, विशाल बंसल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकृतू, मोहम्मद ओवियास, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी,

विषय-सूची*

प्रारंभिक एवं संक्षिप्त रूपरेखा	15
प्रासंगिक तथ्यात्मक एवं पृष्ठभूमि के पहलू.....	20
अभियोजन साक्ष्य.....	22
अपीलार्थी का रुख.....	50
विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई	51
उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया.....	58
विरोधी प्रस्तुतियाँ.....	64
इस अपील का दायरा तथा विस्तार.....	79
परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत; स्पष्टीकरण का दायित्व; पक्षद्रोही साक्ष्य; तथा उद्देश्य.....	81

इस मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को
लागू करना 94

अपीलार्थी की मानसिक अक्षमता का अभिवचन 102

निष्कर्ष.....120

प्रारंभिक एवं संक्षिप्त रूपरेखा

अनुमति अनुदत्त।

2. यह अपील दिनांक 29.02.2016 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जो कि आपराधिक अपील संख्या 879/2013 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने क्रमशः दिनांक 03.09.2011 तथा 08.09.2011 को दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है, जैसा कि सत्र मामला संख्या 238/2009 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, रोहिणी (बाहरी), दिल्ली के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 व 201 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास सहित भिन्न-भिन्न सजा सुनाई गई थी।

3. आवश्यक विवरणों में मामले से निपटने से पहले, हम आगामी चर्चा की रूपरेखा को इंगित करने के लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

3.1. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप यह था कि दिनांक 03.05.2009 को, वह अपने लगभग 9 वर्ष व 6 वर्ष की आयु के दो बेटों को हैदरपुर नहर में ले गया, उनका गला घोट दिया और शवों को नहर में फेंक दिया; और उसके बाद, ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे कि यह दुर्घटनावश डूबने का मामला हो। यह भी आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी एक शराबी था, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह था और उसे शक था कि बच्चे उसके बेटे नहीं थे।

3.2. विचारण में, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, अभि.सा.-5 बिशन सिंह (अपीलार्थी का भाई) तथा अभि.सा.-9 सुनीता यादव (अपीलार्थी की पत्नी) ने अपीलार्थी के आचरण और व्यवहार के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। तथापि, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्य विधिवत स्थापित किए गए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि मृत

बच्चों को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, जो उन्हें नहर में ले गया और बाद में हैदरपुर जल संयंत्र और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ-साथ पुलिस को भी सूचित किया कि वे गलती से नहर में गिर गए; दोनों बच्चों की मृत्यु का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था; और यह कि अपीलार्थी एक शराबी था जो अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह करता था और सोचता था कि वह मृत बच्चों का पिता नहीं था। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया तथा तदनुसार दंड दिया।

3.3. अपील में, अनिवार्य रूप से अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि घटनाओं की श्रृंखला में लापता कड़ी थी, विशेष रूप से जब अपीलार्थी के उसकी पत्नी की पवित्रता पर संदेह करने के आरोप सिद्ध नहीं हुए और इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके लिए अपीलार्थी ने अपने ही बेटों की हत्या की हो। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी - राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि बच्चों को अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया था और यह स्पष्ट रूप

से स्थापित किया गया था कि उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी न कि डूबने के कारण, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा मिथ्या रूप से बताया गया था, जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के संदर्भ में, गला घोटकर बच्चों की मृत्यु की परिस्थितियों को समझाने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने फिर से अभिलेख पर साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण किया और अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के परिणामों तथा निष्कर्षों की पुष्टि की।

3.4. अपीलार्थी को दोषसिद्धि और सजा देने वाले समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, उसकी ओर से अनिवार्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि जब अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की कहानी का समर्थन अपीलार्थी की पत्नी सहित महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा नहीं किया गया है, तो अपीलार्थी के उसके ही बेटों को मारने का कोई कारण या उद्देश्य नहीं था; और अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण का कथित अभाव वर्तमान मामले में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है।

यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण में एक मौलिक दोष था जब विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 3 की धारा 329 के संदर्भ में अपीलार्थी की क्षमता की जांच करने से इनकार कर दिया था, जबकि अभिलेख पर उपस्थित महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करते हुए कहा गया था कि अपीलार्थी स्वस्थ मानसिक स्वभाव का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसे नशा मुक्ति के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था और केंद्र की सलाह के विरुद्ध उसे छुट्टी दे दी गई थी। इस संबंध में दोषसिद्धि के बाद मानसिक रोग के लिए अपीलार्थी के उपचार के बारे में तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जब मृतक को अंततः अपीलार्थी के साथ देखा गया था, तो उनकी अप्राकृतिक मृत्यु का कारण समझाने का दायित्व उन पर विद्यमान था, जिसका निर्वहन करने में वह विफल रहा था; बल्कि उसने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने के बारे में गलत जानकारी दी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष की गई मानसिक अस्वस्थता का अभिवचन, जो कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पोषणीय नहीं है क्योंकि इसे विचारण में या यहां

तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी नहीं उठाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराए जाने के बाद मनोचिकित्सा वाई में भर्ती कराया गया हो और उसका इलाज किया गया हो, लेकिन अपराध के समय उसके मन की अस्वस्थता का मामला स्वीकार्य नहीं होगा कि उसे दोषमुक्त या वियुक्त किया जा सकता है।

प्रासंगिक तथ्यात्मक एवं पृष्ठभूमि के पहलू

4. उपरोक्त रूपरेखा के संदर्भ में और इस अपील में निर्धारण के लिए उद्भूत होने वाले प्रश्नों को देखते हुए, प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि को पहलुओं को संक्षेप में, निम्नानुसार देखा जा सकता है:

4.1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी अपने दो बेटों जितेश और सनी, जिनकी उम्र क्रमशः लगभग 9 वर्ष और 6 वर्ष थी, को मौज मस्ती करने के बहाने हैदरपुर जल संयंत्र, पश्चिम विहार, दिल्ली में हैदरपुर नहर ले गया और उक्त स्थान पर पहुंचने और मौका मिलने के बाद, उसने एक-एक करके उनका गला घोट दिया और शवों को नहर में फेंक

दिया। अभियोजन पक्ष का मामला आगे यह था कि अपीलार्थी ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे कि बच्चे गलती से नहर में गिर गए और उस प्रयास में, वह नहर में कूद गया और कुछ दूरी तक तैरने के बाद बाहर आया और फिर, पास के जल उपचार संयंत्र के कार्यालय में गया और वहां मौजूद कर्मचारियों को अपने बेटों के गलती से नहर में गिरने के बारे में सूचित किया; और उसके बाद, वह पास के पेट्रोल पंप पर भी गया और एक कर्मचारी को वही कहानी सुनाई और 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस के पहुंचने के बाद, अपीलार्थी ने वही संस्करण दोहराया।

4.2. हालांकि, शवों की बरामदगी और उनके शव परीक्षण के बाद, यह उजागर हुआ कि बच्चों की मृत्यु डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि मौत का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। दी गई परिस्थितियों में, संदेह अपीलार्थी की ओर जाता है, क्योंकि वह अंतिम रूप से मृत बच्चों के साथ रहने वाला व्यक्ति था। यह आरोप लगाया गया था कि पूछताछ के दौरान, अपीलार्थी ने यह कहते हुए अपराध स्वीकार कर लिया कि उसे अपनी पत्नी

की पवित्रता पर संदेह था और संदेह था कि बच्चे उसके बेटे नहीं थे।

4.3. इस मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना आख्या सं. 253/2009, थाना प्रशांत विहार में जांच करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला सत्र न्यायालय में स्थानांतरित होने और आवश्यक आरोप विरचित होने के बाद, अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण का सामना करने का दावा पेश किया।

अभियोजन साक्ष्य

5. विचारण में अभियोजन पक्ष ने काम से काम 18 गवाहों से पूछताछ की। मामले की विशिष्ट विशेषता यह थी कि दो गवाहों, अपीलार्थी की पत्नी के चाचा अभि.सा.-7 महेंद्र कुमार यादव एवं अपीलार्थी की पत्नी के एक अन्य चाचा अभि.सा.-8 राजेंद्र यादव ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि अपीलार्थी एक शराबी था जो अपनी पत्नी को पीटता था और उसके चरित्र पर संदेह करता था, लेकिन अपीलार्थी के भाई अभि.सा.-5 बिशन सिंह और अपीलार्थी

की पत्नी अभि.सा.-9 सुनीता यादव ने भी इस कथन का समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत, अपीलार्थी की पत्नी ने विशेष रूप से कहा कि उसके अपने पति के साथ हमेशा अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। इस मामले में साक्ष्य का एक अन्य समूह अपीलार्थी की शराब की लत और पुनर्वास केंद्र में उसके प्रवेश और छुट्टी के संबंध में था। इस संबंध में, अपीलार्थी के चचेरे भाई अभि.सा.-2 पूरन सिंह और पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक अभि.सा.-3 जगबीर की गवाही अपीलार्थी के मानसिक स्वभाव पर इस अपील में जोर दिए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक है। सबूतों का एक और समूह तीन गवाहों का था, अभि.सा.-1 नरेश कौशिक, पेट्रोल पंप पर डिलीवरी बॉय, अभि.सा.-4 महेश कुमार शर्मा और अभि.सा.-6 कोमल राम, जल उपचार संयंत्र में कार्मिक प्रभारी, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी के उनसे मिलने के तथ्यों की गवाही दी, साथ ही यह बताया कि उसके बेटे गलती से नहर में गिर गए थे। अभि.सा.-14 डॉ. वी. के. झा वह चिकित्सा अधिकारी थे जिन्होंने शवों का शव परीक्षण किया तथा अपनी राय रखी कि प्रत्येक बच्चे के संबंध में मृत्यु का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। अन्य गवाह वे

कर्मचारी थे जिन्होंने जाँच की या उससे संबंधित कार्यों को पूरा किया।

6. यद्यपि वर्तमान अपील के प्रयोजन के लिए पूरे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर विस्तृत व्याख्या आवश्यक नहीं है, लेकिन आग्रह किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हम महत्वपूर्ण कारकों से संबंधित प्रासंगिक बयानों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अपीलार्थी की शराब की लत और पुनर्वास केंद्र में उसका प्रवेश और छुट्टी; अपीलार्थी का अपनी पत्नी के प्रति आचरण; घटना के तुरंत बाद अपीलार्थी का संस्करण जिससे उसके दो बेटों की मृत्यु हो गई; और पीड़ित बच्चों के शवों के शव परीक्षण के बाद चिकित्सीय राय।

6.1. अपीलार्थी की लत और पुनर्वास केंद्र में उसके प्रवेश और छुट्टी से संबंधित मामलों के संबंध में, अपीलार्थी के चचेरे भाई अभि.सा.-2 पूरन सिंह और अभि.सा.-3 जगबीर, पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक की गवाही का प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:-

"अभि.सा. 2 श्री पूरन सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी डीयू 72 विशाखा एंकलेव, पीतमपुरा दिल्ली।

सशपथ

....वर्तमान घटना से लगभग 15/20 दिन पहले मुझे पता चला कि प्रेम सिंह को शराब पीने की आदत के कारण औचंदी गांव के चेतना नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है। मैंने उक्त निरोध केंद्र का दौरा किया और उसे वहाँ भर्ती पाया। मैंने वहाँ डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उक्त केंद्र के अधिकारियों ने मुझे सूचित किया कि डॉक्टर बुधवार को आएंगे लेकिन बुधवार को उक्त डॉक्टर नहीं आया और उन्होंने मुझे टेलीफोन पर सूचित किया कि डॉक्टर शुक्रवार को आएंगे। जब मैंने शुक्रवार को उक्त नशा मुक्ति केंद्र पर टेलीफोन किया तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा ने अभियुक्त प्रेम सिंह को उक्त केंद्र से छुट्टी दिला दी है। मैंने उक्त नशा मुक्ति केंद्र के अधिकारियों के सामने आपत्ति जताई कि उन्होंने प्रेम सिंह को छुट्टी क्यों दी क्योंकि उनकी हालत सामान्य नहीं थी।

उनकी छुट्टी के 2 या 3 दिनों के बाद वर्तमान घटना घटित हुई, जहाँ तक मुझे याद है रविवार की रात थी। यदि प्रेम सिंह को उक्त नशा मुक्ति केंद्र से छुट्टी नहीं दी गई होती तो वर्तमान घटना को टाला जा सकता था।

इस स्तर पर विद्वान अति.लो.अभि. गवाह से कुछ प्रमुख सवाल पूछने की अनुमति मांगता है। सुना गया। अनुमति दी गई।

प्र.। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेम सिंह अपनी पत्नी सुनीता के साथ झगड़ा करता था और नियमित रूप से अपनी पत्नी सुनीता और अपने दोनों मृत बेटों को पीटता और दुर्व्यवहार करता था। प्रेम सिंह हिंसक स्वभाव का व्यक्ति है?

उ.। मैं उक्त तथ्यों से अनजान हूँ क्योंकि मैं प्रेम सिंह के घर नियमित रूप से नहीं जाता था। मैंने पुलिस द्वारा दर्ज अपने बयान में ऐसा कभी नहीं कहा तथा जांच अधिकारी ने मेरे बयान में उक्त तथ्यों का उल्लेख स्वयं किया था।

xxxxx सुश्री साधना भाटिया, न्यायमित्र, अभियुक्त हेतु विद्वान अधिवक्ता।

जांच अधिकारी ने मेरा बयान कभी दर्ज नहीं किया। जांच अधिकारी ने इस मामले में मुझसे कभी कोई पूछताछ नहीं की। आज मैंने न्यायालय के सामने जो कुछ भी बयान दिया है वह सत्य है। मैंने कभी भी अभियुक्त को अपनी पत्नी को पीटते या अपने बच्चों को गाली देते नहीं देखा क्योंकि मैं उनके परिवार से अलग रहता हूँ और उनके घर में दखल नहीं देता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं असत्य गवाही दे रहा हूँ।"

* * * * *

"अभि. सा. 3 का बयान श्री. जगबीर पुत्र श्री सुखबीर सिंह, आयु 40 वर्ष, निवासी मकान सं. 205, गाँव - औचंदी, दिल्ली - 39.

सशपथ

मैं पिछले पाँच वर्षों से चेतना फाउंडेशन (पंजी.) मादक पदार्थ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, गाँव औचंदी, दिल्ली-39 में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ।

हमारे उक्त केंद्र में आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त प्रेम सिंह (सही तरीके से पहचाने गए) को शराब पीने की आदत की लत से छुटकारा पाने के लिए दिनांक 20.11.08 को भर्ती कराया गया था। उसे उसके पिता गिरधारी सिंह एवं उसकी पत्नी सुनीता ने भर्ती कराया था। वह दिनांक 29.04.09 तक हमारे उक्त केंद्र में भर्ती रहा। उक्त अवधि के दौरान उसको परामर्श दिया जाता था और उसके बाद वे एक साधारण विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। हमारे केंद्र में लगभग 5 महीने के कथित प्रवास के दौरान वह कभी अपने घर नहीं गया। उसकी पत्नी सुनीता, बहन बालादेवी, पिता गिरधारी लाल और चचेरा भाई पूरन सिंह उनसे मिलने हमारे केंद्र में आए। वह हमारे केंद्र में लगे टेलीफोन नंबर 27742360 और 27741540 से अपनी पत्नी सुनीता, पिता गिरधारी और अन्य लोगों से टेलीफोन पर बात करता था। उनके कथित प्रवास के दौरान प्रेम सिंह का व्यवहार सामान्य था और उन्हें कभी भी मानसिक रोग के लिए कोई दवा नहीं दी गई क्योंकि न तो उनमें कोई मानसिक बीमारी देखी गई थी और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने हमें किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का कोई पिछला इतिहास दिया था। उसे केवल शराब की लत थी जैसा कि उसके परिवार के सदस्यों ने हमें बताया था।

.....

.....

.....

दिनांक 29.04.2009 को गिरधारी सिंह ने एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम सिंह को हमारी सलाह के खिलाफ हमारे केंद्र से छुट्टी दिलाई क्योंकि मैंने उन्हें 7 से 9 महीने का कोर्स पूरा करने की सलाह दी थी। जांच अधिकारी ने मेरा बयान दर्ज किया। दस्तावेज जो मैंने जांच अधिकारी को सौंपे थे जैसे प्र. अभि.सा.3/ख प्रमाणपत्र और उनकी 8 पृष्ठों की पूरी फाइल की फोटोकॉपी जो सामूहिक रूप से प्र. अभि.सा.3/ग जिस पर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित सभी दस्तावेज हैं। गवाह द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज देखे गए और वापस किए गए।

xxxxx सुश्री साधना भाटिया, न्यायमित्र, अभियुक्त हेतु विद्वान अधिवक्ता।

हमारे केंद्र में रहने के दौरान अभियुक्त मानसिक रूप से स्वस्थ था और उसे केवल शराब पीने की आदत की लत से मुक्ति के लिए भर्ती किया गया था।"

6.2. जैसा कि देखा गया, अपीलार्थी की पत्नी के दोनों चाचा, अभि.सा.-7 महेंद्र कुमार यादव और अभि.सा.-8 राजेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि अपीलार्थी के अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, उसे अत्यधिक शराब पीने की आदत थी, और वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। हालांकि, अपीलार्थी के भाई अभि.सा.-5 बिशन सिंह एवं अपीलार्थी की पत्नी अभि.सा.-9 सुनीता यादव ने अभि.सा.-7 और अभि.सा.-8 के संस्करण का समर्थन नहीं किया। हम

अभि.सा.-7, अभि.सा.-8, अभि.सा.-5 एवं अभि.सा.-9 के बयानों के प्रासंगिक भागों को उस आदेश में ध्यान दे सकते हैं, जो इस प्रकार है:-

"अभि.सा.7 - महेन्द्र कुमार यादव का कथन, आयु - 52 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री राम किशन यादव निवासी डब्ल्यूजेड-350 गाँव शकूरपुर दिल्ली।

सशपथ

मेरी भतीजी सुनीता यादव की शादी वर्ष 1996 में अभियुक्त प्रेम सिंह से हुई थी और शादी के बाद वह मकान सं. 225 हैदरपुर दिल्ली में रहने लगी। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त प्रेम सिंह मेरी भतीजी सुनीता यादव की पवित्रता पर टिप्पणी करता था। अभियुक्त शराब पीकर सुनीता को पीटता था। अभियुक्त मेरी भतीजी पर आरोप लगाता था कि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। शादी के बाद दो लड़कों का जन्म हुआ। उसे उसके पिता ने अभियुक्त प्रेम सिंह को सुधारने के प्रयास में नशा मुक्ति केंद्र, औचंदी गाव में भर्ती होने के लिए भी कहा था। उसके पिता की सलाह पर अभियुक्त को मेरी भतीजी द्वारा उसके इलाज के लिए उपरोक्त केंद्र में भर्ती कराया गया था लेकिन दिनांक 29.04.2004 को अभियुक्त के पिता ने अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र से मुक्त कर दिया है।

दोनों बच्चों के बारे में अभियुक्त प्रेम सिंह टिप्पणी करता था कि वे उसके नहीं थे और मेरी भतीजी के साथ झगड़ा करता था और कहता था कि वे

किसी और के हैं। एक बार अभियुक्त प्रेम सिंह ने दोनों बच्चों को बिजली का झटका देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन मेरी भतीजी के आग्रह करने और अपनी विनम्रता दिखाने से वह दोनों बच्चों को बचाने में सफल रही। इसके बाद, सुनीता हमारे घर आई और लगभग 5-6 महीने तक हमारे घर में रही और उसके बाद प्रेम सिंह मेरी बेटी को अपने घर ले गया। अभियुक्त प्रेम सिंह नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद 2-3 दिनों तक चुप रहा लेकिन बाद में उसने अपना वही व्यवहार जारी रखा, यानी मेरी भतीजी पर दोषारोपण करना और उसके साथ अश्लील बातें करना। उसने यह भी कहा कि वह अपने घर में लोगों को बुलाती है और यौन उत्पीड़न जैसी बुरी गतिविधियों (गलत काम) में संलिप्त होती है। वह मेरी बेटी से भी झगड़ा करता था।

दिनांक 03.05.2009 को सुनीता मेरे घर आई और कहा कि अभियुक्त प्रेम सिंह उसके साथ झगड़ा कर रहा है। मैं उनके घर गया और उनके मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका, आखिरकार मैं अपने घर लौट आया। उसी दिन लगभग 11:00 बजे मुझे पुलिस का फोन आया कि मेरी भतीजी सुनीता के दोनों बच्चों की हैदर पुर जल उपचार संयंत्र के पास नहर में डूबने से मौत हो गई है। मुझे संदेह है कि दोनों बच्चे डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि उनकी हत्या उनके पिता अभियुक्त प्रेम सिंह ने की है। मृत शरीर की बरामदगी के समय अभियुक्त प्रेम सिंह दावा कर रहा था कि दोनों बच्चे अपने आप नहर में डूब गए हैं, लेकिन बाद में अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने अपने दोनों बच्चों की

हत्या की है। पुलिस ने मेरी उपस्थिति में अभियुक्त प्रेम सिंह का इंकेशाफी बयान दर्ज किया जो कि प्र.अभि.सा-7/घ है जिस पर बिंदु 'क' पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

XXXXX सुश्री साधना भाटिया (न्यायमित्र)
अभियुक्त हेतु अधिवक्ता।

हमने उपरोक्त व्यवहार के बारे में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। मेरा बयान थाना प्रशांत विहार में दर्ज किया गया। हमने अपनी भतीजी और प्रेम सिंह के बीच झगड़े के संबंध में पंचायत को नहीं बुलाया है। खण्ड। हम मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कई बार अभियुक्त के घर गए थे लेकिन अभियुक्त ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी भतीजी सुनीता ने मुझे अभियुक्त द्वारा अपने दोनों बच्चों को बिजली के झटके से मारने के प्रयास के बारे में बताया, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। हमने उपरोक्त घटना के लिए पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को पीटते हुए नहीं देखा था। अभियुक्त का घर मेरे घर से लगभग 5 किमी दूर है। दिनांक 03.05.2009 को मैं लगभग शाम 07:00 बजे नहर पर गया। जब मैंने अभियुक्त को नहर के पास देखा और उसके बच्चों का शव भी देखा। मैंने अपनी भतीजी और बच्चों के साथ अभियुक्त के आचरण के बारे में पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी। मैंने घटना नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि मैं सुनीता का मामा होने के नाते झूठा बयान दे रहा हूं और कि अभियुक्त सुनीता और बच्चों से प्यार करता था या उसने कथित अपराध नहीं किया

था या सुनीता का रिश्तेदार होने के नाते मैंने न्यायालय में झूठा बयान दिया था।"

* * *

* * *

* * *

"अभि.सा.8 - श्री राजेंद्र यादव का कथन 43 वर्षीय पुत्र श्री जवाहर सिंह निवासी डब्ल्यूजेड - 342 गाँव शकूर पुर दिल्ली।

सशपथ

मैं सेक्टर-7 रोहिणी दिल्ली में मैसर्स आस्था एंटरप्राइजेज के नाम से एक दुकान चला रहा हूँ। सुनीता पत्नी अभियुक्त प्रेम सिंह मेरी भतीजी है जिसकी शादी लगभग 12-13 साल पहले अभियुक्त के साथ हुई है। शुरू में, अभियुक्त प्रेम सिंह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम छोड़ दिया और बेरोजगार हो गया और वह अक्सर शराब पीता था। मेरी भतीजी जब भी हमारे घर आती थी तो कहती थी कि अभियुक्त उसे गाली देता था और पैसे की मांग भी करता था और उसे पीटता भी था। हम कभी-कभी नकद में उसकी मदद करते थे। शादी के 2-3 साल बाद सुनीता के दोनों बेटे जितेश और सनी हमारे साथ हमारे घर में लगभग 2 साल तक रहे। अभियुक्त की शराब पीने की गंभीर आदत के कारण उसे एक बार उसकी पत्नी सुनीता ने नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया था, लेकिन बाद में अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने उसे सुनीता की इच्छा के खिलाफ रिहा कर दिया। रिहाई के दिन अभियुक्त प्रेम सिंह ने अपनी पत्नी सुनीता और अपने दोनों बच्चों को बुरी तरह पीटा और बदले में सुनीता हैदर पुर में अभियुक्त

के घर पर बच्चों को छोड़कर हमारे घर आई। हमें दिनांक 03.05.2009 पर पुलिस थाना प्रशांत विहार से एक फोन आया कि उन्होंने प्रेम सिंह द्वारा सूचित किया है कि उनके 2 बच्चे हैदर पुर नहर में डूब गए हैं, जब वे उनके सामने नहर के पास खेल रहे थे। हम पुलिस थाने गए, मैं और मेरे चाचा स्वर्गीय श्री राम किशन के बेटे महेंद्र सिंह और पुलिस थाने में हमने देखा कि प्रेम सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया था और हमें पूरा संदेह था कि प्रेम सिंह ने अपने दोनों बच्चों को डुबो दिया है क्योंकि उसे सुनीता के चरित्र पर संदेह था। नशे की हालत में अभियुक्त ने अपने दोनों बेटों को पीटा और अपने बच्चों के प्रति उसका व्यवहार असामान्य था क्योंकि वह दोनों बच्चों जितेश और सनी का स्कूल से नाम कटा दिया था।।

xxxxx सुश्री साधना भाटिया (न्यायमित्र)
अभियुक्त प्रेम सिंह हेतु।

“पुलिस ने दिनांक 03.05.2009 शाम को पुलिस थाने में मेरा बयान दर्ज किया। यह सही है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में किए गए बयान की तारीख बताए जाने के बाद मेरा बयान दिनांक 13.06.2009 पर दर्ज किया गया था। मैंने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि जितेश और सनी अपनी मृत्यु से पहले लगभग 2 साल तक हमारे घर में रहे थे। बयान प्र.अभि.सा.-8/घक से पुष्टि की गयी जहां इसे दर्ज नहीं किया गया है। मैंने पुलिस को बताया है कि नशा मुक्ति केंद्र से लौटने के बाद अभियुक्त ने अपने दोनों बेटों को पीटा है। बयान प्र.अभि.सा.-8/घक की पुष्टि पर जहां इसे दर्ज नहीं किया गया है। हमने

अपनी भतीजी और उसके बच्चों की पिटाई के संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त अपने बच्चों से प्यार नहीं करता था और न ही मेरी भतीजी के चरित्र पर संदेह करता था। यह सही है कि मेरी भतीजी जब भी हमारे घर आती थी केवल पिटाई के बारे में बताती थी। यह सही है कि मेरी उपस्थिति में मेरी भतीजी और उसके बेटों को नहीं पीटा गया था। यह कहना गलत है कि मैं गलत गवाही दे रहा हूं।"

* * *

* * *

* * *

"अभि.सा.5 - बिशन सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह का कथन (स्थगित तिथि के बाद से आगे की जांच के लिए दिनांक 06.09.2010 को वापस बुलाया गया)

सशपथ

मेरे भाई प्रेम सिंह के बेटों का नाम जितेश और सनी है। घटना के समय मेरे भाई प्रेम सिंह बेरोजगार था। उसकी आदतें सामान्य थीं लेकिन वह शराब पीता था। पहले उनका परिवहन व्यवसाय था और उनके पास 2 ट्रक थे, लेकिन 4-5 साल पहले अपने ट्रक बेचने के बाद और उसके बाद वे पोल्ट्री मिल चला रहे थे और वे केवल एक साल के लिए व्यवसाय में लगे रहे और उसके बाद वे बेरोजगार हो गए। मेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच तनाव था और उन दिनों वह शराब पी रहा था। कभी-कभी हम अपने भाई और उसकी पत्नी के बीच गहमागहमी सुनते थे। मुझे उनके अजीब रिश्ते का असली कारण नहीं पता है। अपने बच्चों के साथ भी उनके सामान्य संबंध थे। मेरे भाई प्रेम सिंह को

एक बार नशा मुक्ति केंद्र औचंदी में भर्ती कराया गया था और वे लगभग एक वर्ष तक वहां रहे। उन्हें मेरे पिता श्री गिरधारी सिंह ने नशा मुक्ति केंद्र से प्रेम सिंह के आश्वासन पर अपनी आदतों को सुधारने और नशे की आदत को छोड़ने के आश्वासन पर रिहा कर दिया था और यह भी कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी।। मुझे पता नहीं प्रेम सिंह के बच्चों के साथ क्या हुआ था। मैंने पुलिस वालों से सुना कि मेरा दोनों भतीजे यमुना नहर में डूब गए थे। मैं भी अस्पताल गया और बीजेआरएम अस्पताल में शव परीक्षण के बाद मेरे भतीजे जितेश और सनी के शव को मेरे द्वारा बिंदु 'ग' पर हस्ताक्षरित रसीद प्र.अभि.सा.-2/ख के माध्यम से रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था। पुलिस ने थाने प्रशांत विहार में मेरा बयान दर्ज किया था लेकिन मुझे नहीं तारीख नहीं पता कि मेरा बयान कब दर्ज किया गया था।

इस स्तर पर, विद्वान अति.लो.अभि. प्रस्तुत करते हैं कि वह गवाह का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है क्योंकि वह अपने पिछले बयान से मुकर रहा है।

सुना गया। अनुमति दी गई।

XXXXXX राज्य हेतु विद्वान अति.लो.अभि.।

मुझे याद नहीं है कि मेरा बयान प्र.अभि.सा.-5/क दिनांक 13.06.2009 पर दर्ज किया गया था अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने अपने बयान में कहा है कि मेरे भाई प्रेम सिंह झगड़े के दौरान और गुस्से में अपनी पत्नी को गाली देता और पीटता था। मेरे कथन प्र.अभि.सा.-5/क के "क" से "क1" को देखने पर जहां

ऐसा दर्ज किया गया है कि मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि मेरे भाई को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और संदेह का कारण यह था कि जब भी उसकी पत्नी शकूर पुर गांव में स्थित उसके मामा महेंद्र सिंह के घर से आती थी, तो उसे महेंद्र सिंह के किरायेदार के कुछ लड़के लेकर आते थे। उसे अपने दोनों बेटों के प्रति पिता जैसा स्नेह भी नहीं था और झगड़े के दौरान वह इशारा करता था कि बेटे उसके नहीं हैं। प्रेम सिंह पर न तो मेरा नियंत्रण था और न ही उनके पिता का। मेरे कथन प्र.अभि.सा.-5/क के "ख" से "ख1" को देखने पर जहां ऐसा दर्ज किया गया है कि यह सही है कि मेरे भाई को नशा मुक्ति केंद्र से दिनांक 29.04.2009 को रिहा कर दिया गया था। यह सही है कि रोहिणी न्यायालय के पुलिस कर्मचारियों से दिनांक 03.05.2009 को सूचना मिलने पर उन्हें बताया कि उन्हें मेरे भाई प्रेम सिंह के लिए सूचना मिली कि जब उनका बेटा जितेंद्र और सनी दोनों हैदरपुर नहर में उपस्थित थे और वे उनके सामने दौड़ भाग रहे थे और खेलकूद रहे थे तो वे नहर में डूब गए और नहर में बह गए (बेह गए)। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया है कि अक्सर मेरा भाई अपनी पत्नी के चरित्र को कोसता है और उसे गाली देता है और पीटता है और अपने दोनों बेटों से नफरत करता है। मेरे कथन प्र.अभि.सा.-5/क के "ग" से "ग1" को देखने पर जहां ऐसा दर्ज है कि मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए उसने अपने दोनों बेटे जितेश और सनी की हत्या की है और उसके बाद पुलिस को सूचित किया कि जब वे खेलकूद रहे थे तो वे नहर में

डूब गए थे। मेरे कथन प्र.अभि.सा.-5/क के "घ" से "घ1" को देखने पर जहां ऐसा दर्ज है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त मेरा भाई [नहीं] है क्योंकि पुलिस जांच के दौरान दर्ज किया गया बयान मैंने निष्पक्ष रूप से नहीं दिया है। यह कहना गलत है कि समय बीतने के कारण मेरा गुस्सा शांत हो जाता है या मैं अभियुक्त प्रेम सिंह के पक्ष में गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने रणनीतिक रूप से अपने भाई की उसकी पत्नी के प्रति उसके चरित्र के कारण घृणा के तथ्य और गुप्त रूप से उसके बेटों के प्रति उसके बुरे व्यवहार को छुपाया और जो अंततः उसके बेटों की मृत्यु का कारण बना।

xxxxx सुश्री साधना भाटिया (न्याय मित्र) द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह हेतु।

जब अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अभियुक्त को अपने दोनों बेटों के प्रति स्नेह और प्रेम था।"

* * *

* * *

* * *

"अभि.सा.9 - सुनीता यादव का बयान, उम्र 35 वर्ष पत्नी श्री प्रेम सिंह निवासी मकान सं. 225 गाँव हैदर पुर दिल्ली।

सशपथ

मैं वर्ष 1996 से अभियुक्त प्रेम सिंह के साथ शादीशुदा हूँ। शादी के बाद मुझे 2 बेटे हुए हैं। मैं अपने पति द्वारा कमाए गए पैसे के साथ-साथ किराए के परिसर से अपने पिता द्वारा दिए गए कुछ पैसे से

अपना घर चलाती थी। मैं 12वीं पास कर चुकी हूँ। शादी से पहले, मैं तीन साल की उम्र से अपने मामा महेन्द्र कुमार यादव के साथ रहती थी। मेरे असली माता-पिता उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लोहारा सराय के एक गाँव में रह रहे थे। मेरे मामा का निवास मकान सं. - डब्ल्यू. जेड./350, शकूरपुर गाँव, दिल्ली में है। मेरे पति शादी के बाद मेरे साथ खुशी-खुशी रहते थे। मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है। घटना के दिन, मैं अपने मामा के घर गई क्योंकि मेरी नानी बीमार थी और अपने दोनों बेटों को उनके पिता/अभियुक्त के पास छोड़ कर। मेरे ससुराल छोड़ने का कोई और कारण नहीं था। मुझे नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या हुआ। बाद में, मुझे प्रशांत विहार थाने से एक फोन आया और बताया कि मेरे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई है। मैंने पुलिस को बयान नहीं दिया है। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज नहीं किया है और न ही पुलिस ने मुझसे पूछताछ की है। मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहती।

इस स्तर पर विद्वान अति.लो.अभि. गवाह से प्रतिपरीक्षण करना चाहते हैं क्योंकि वह सच्चाई को दबा रही है और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने पूर्व बयानों से मुकर रही है।

सुना गया। अनुमति दी गई।

XXXXXX राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि.

मैंने दिनांक 4.5.2006 पर अपने बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह कहना गलत है कि पुलिस ने दिनांक 4.5.2006 पर मेरा बयान दर्ज किया है और

जिसे अभि.सा.9/क चिह्नित किया गया है और उस पर मेरे द्वारा बिंदु 'क' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सही है कि क्योंकि मेरे पति की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें घटना से 4-5 महीने पहले नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। वॉल. उन्होंने कहा कि मेरे पति शराब बिल्कुल नहीं पी रहे थे और नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टरों ने कहा कि वे एक अच्छे डॉक्टर से मेरे पति का इलाज कराएंगे। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि मेरे ससुर द्वारा मेरे पति को नशा मुक्ति केंद्र से रिहा करने के बाद, हम उसके बाद ढाई दिन शांति से रहे, लेकिन दिनांक 03.05.2009 को लगभग सुबह 11:00 बजे मेरे पति ने मुझे पीटा, जिसके परिणामस्वरूप मैं अपने दोनों बेटों को उसके साथ छोड़कर अपने मामा के घर चली गई और बाद में मुझे पता चला कि मेरे दोनों बेटे हैदरपुर नहर में डूब गए। (मेरे बयान चिह्नित अभि.सा.9/क के भाग क से क-1 को देखने पर जहां यह दर्ज किया गया है)। यह सही है की शुरुआत में मेरा पति ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में लगा हुआ था और उसके पास दो ट्रक थे लेकिन बाद में दोनों ट्रकों को बेच दिया और वह बेरोजगार हो गया। यह कहना गलत है कि वह अपनी बेरोजगारी के दौरान शराब पीता था। (अभि.सा. 9/ख. चिह्नित के भाग ख से ख-1 तक देखने पर, जिसमें यह दर्ज किया गया है)। यह कहना गलत है कि अभियुक्त मुझे गाली देने और पीटने का आदि था (अभि. सा. 9/ख चिह्नित के भाग ग से ग को देखने पर जिसमें यह दर्ज किया गया है)। यह कहना गलत है कि घटना से ढाई साल पहले, अभियुक्त प्रेम सिंह की पिटाई और दुर्व्यवहार के कारण, मैं अपने दोनों बेटों के साथ अपने मामा के घर

चली गई थी और उनके घर रहती थी या अभियुक्त प्रेम सिंह मुझ पर गन्दे और अभद्र आरोप लगता था और मुझे 'धरित्रहीन' बताते थे (*इधर उधर के आदमियों से मुंह मरवाती*) फिरती है) (बयान चिह्नित अभि.सा.9/ख के भाग ग से ग-1 को देखने पर जिसमें यह दर्ज है कि यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि अभियुक्त ने कहा है कि हमारे दोनों बच्चे उससे नहीं थे और मेरे अवैध संबंध के कारण थे। यह कहना गलत है कि इस कारण से मैं उनके इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान था या कि मेरे पति को मेरे दोनों बेटों से प्यार नहीं है और वे उनसे नफरत करता था। (बयान चिह्नित अभि.सा.9/घ के भाग घ से घ-1 को देखने पर जिसमें यह दर्ज किया गया है)। यह कहना गलत है कि मेरे पति को नशा मुक्ति केंद्र से रिहा करने के बाद उसने मुझ पर ताना मारा कि मैं अलग-अलग लड़कों को बुलाती थी और उनके साथ गलत काम / यौन कृत्य करती थी और दोनों बेटे उसके बेटे नहीं हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी या कि उसने मुझे पीटा और मुझे अपने घर से बाहर फेंक दिया और जब मैंने उससे दोनों बेटों को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं उन्हें मार दूंगा क्योंकि वे दोनों नाजायज़ बच्चे थे। (मेरे कथन चिह्नित अभि.सा.9/ख के भाग ड से ड-1 को देखने पर जहां इसमें दर्ज है)।

उसी रात पुलिस ने मुझे टेलीफोन पर सूचित किया कि मेरे दोनों बेटे हैदरपुर नहर में डूब गए हैं और यह भी कहा है कि यह तथ्य अभियुक्त ने स्वयं बताया था। मैंने पुलिस को यह भी नहीं बताया कि

मुझे अपने पति पर संदेह है कि उसने मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और पुलिस को झूठा बताया कि वे खुद डूब गए थे। (मेरे बयान चिह्नित अभि.सा.9/ख के भाग च से च-2 को देखने पर, जिसमें यह दर्ज किया गया है)। यह कहना गलत है कि मुझे अभियुक्त ने बहला दिया है या कि वह मेरा पति होने के नाते मैं मामले के सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ या कि मुझसे समझौता किया गया है या कि मुझे अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में गवाही देने के लिए भावनात्मक रूप से भयादोहन किया गया था। यह कहना गलत है कि अभि.सा. 9/क चिह्न पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मैंने स्वेच्छा से पुलिस अधिकारियों को बयान दिया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को मेरे चरित्र पर कभी संदेह नहीं था या इस मुद्दे को मिटाने के लिए मैं गलत बयान दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं गलत गवाही दे रही हूँ।

XXXXXX सुश्री साधना भाटिया (न्याय मित्र) द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह हेतु।

यह सही है कि मेरे पति मेरे दोनों बेटों से प्यार करते थे और मेरे पति ने मुझे कभी पीटा या मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। यह सही है कि मेरे पति ने कभी भी मेरे चरित्र पर टिप्पणी नहीं की है और न ही मुझे कभी चरित्रहीन बताया है। यह सही है कि शादी के बाद मेरे पति के साथ मेरे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।"

6.3. यह तथ्य कि प्रश्नगत घटना के बाद, अपीलार्थी हैदरपुर जल संयंत्र के कार्यालय के साथ-साथ पास के पेट्रोल पंप पर भी गया और बताया कि उसके बेटे गलती से नहर

में गिर गए थे, बहुत अधिक विवाद का विषय नहीं था। ये तथ्य हैदरपुर जल संयंत्र से संबंधित अभि.सा.-4 महेश कुमार शर्मा और अभि.सा.-6 कोमल राम की गवाही और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डिलीवरी बॉय अभि.सा.-1 नरेश कौशिक द्वारा भी विधिवत स्थापित किए गए थे। वास्तव में, अभि.सा.-1 ने इन तथ्यों की भी गवाही दी कि अपीलार्थी ने अपने पेट्रोल पंप से पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस अधिकारियों ने पेट्रोल पंप का दौरा किया और अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए गए टेलीफोन के बिल सहित प्रासंगिक सबूत एकत्र किए। तटस्थ संदर्भ हेतु, हम केवल अभि.सा.-1 नरेश कौशिक की गवाही पर इस प्रकार ध्यान दें सकते हैं:-

"अभि.सा. 1 श्री नरेश कौशिक पुत्र राम कुमार कौशिक निवासी वी.पी.ओ. ग्राम किवाना तहसील समालखा जिला पानीपत, हरियाणा

सशपथ

दिनांक 3.05.2009 को [मैं] हैदर पुर जल संयंत्र के सामने रिज व्यू शालीमार बाग नाम के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। उस दिन लगभग शाम 08:15 बजे मैं वहां इयूटी पर था, आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त प्रेम सिंह (सही रूप से पहचाना गया) उक्त पेट्रोल पंप पर

आया और मुझे बताया कि वह अपने दो बेटों के साथ हैदरपुर नहर के पास टहलने आया था और जब उसके दोनों बेटे नहर के पास खेल रहे थे तो वे नहर में गिर गए और उसकी उपस्थिति में डूब गए। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उसने नहर में कूदकर और कुछ दूर तैरकर अपने बेटों को बचाने की कोशिश की पर वह उन्हें बचा नहीं सका। उसने मुझसे 100 नंबर पर कॉल करने की अनुमति का अनुरोध किया। मैंने उसे 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित करने की अनुमति दी उस फोन से जो मेरे उक्त पेट्रोल पंप के कार्यालय में लगा हुआ था, जिसका नंबर 27492035 था। मेरी उपस्थिति में उसने फिर से वही तथ्य पुलिस को टेलीफोन पर दोहराए।

दिनांक 06.05.2007 को कुछ पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त, जिसका नाम मुझे पता चला कि प्रेम सिंह है, के साथ मेरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और मैंने पुलिस को सूचित किया कि वह वही व्यक्ति है जिसने मेरे पेट्रोल पंप से दिनांक 03.05.2009 रात 8.15 बजे पर पुलिस को टेलीफोन किया था। उस दिन जांच अधिकारी ने मेरा बयान दर्ज किया।

दिनांक 11.07.2009 को जांच अधिकारी निरीक्षक प्रताप सिंह मेरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और उन्होंने मुझसे टेलीफोन नंबर 27492035 का बिल देने को कहा। उक्त टेलीफोन नंबर श्री नरेंद्र कुमार महाजन (उक्त पेट्रोल पंप के मालिक) के नाम पर है। मैंने उक्त टेलीफोन नंबर के बिल की छायाप्रति दिनांक 01.02.09 से 31.03.2009 को सौंप दी। उक्त बिल को फर्द मकबूजगी प्र.अभि.सा.1/क के माध्यम से पुलिस के

कब्जे में लिया गया जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है और उक्त बिल की छायाप्रति को अभि.सा.1/क चिह्नित किया गया है जिस पर बिंदु 'क' पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

XXXX सुश्री साधना भाटिया, न्यायमित्र, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त हेतु।

अभियुक्त प्रेम सिंह दिनांक 03.05.2009 को लगभग शाम 8.15 बजे पेट्रोल पंप पर आया और लगभग 5 मिनट तक वहां रहा। मेरा पहला बयान पेट्रोल पंप पर दिनांक 06.05.2009 को दर्ज किया गया था। उस दिन पेट्रोल पंप पर किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।"

6.4. अभि.सा.-14 डॉ. वी. के. झा की गवाही और शव-परीक्षण आख्या एक्स. पी-14/ए व एक्स.पी-14/सी में यह तथ्य कि दोनों बच्चों के शवों पर गर्दन पर चोटों सहित विभिन्न चोटें थीं और चिकित्सीय राय कि उनकी मौत हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई थी, विधिवत स्थापित हुआ है। अभि.सा-14 के बयान को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार उद्धृत किया जा सकता है:-

"अभि.सा.-14 डॉ. वी. के. झा, चिकित्सा अधिकारी, बीजेआरएम अस्पताल, जहांगीरपुरी, दिल्ली का बयान।

सशपथ

दिनांक 4.5.2009 को मैंने प्रशांत विहार थाने के उप.नि. सुनील कुमार द्वारा भेजे गए लगभग 9 साल के जितेश पुत्र प्रेम सिंह के शव का शव परीक्षण किया जो हैदरपुर जल संयंत्र में मृत पाया गया था।

मैंने मृतक के शव पर निम्नलिखित बाहरी चोटों को पाया।

1. गर्दन के सामने 1 सेमी X 0.5 सेमी प्रत्येक के दो खरोंच अपघर्षण।
2. दाहिने हाथ पर वॉशर मैन अपीयरेंस है।
3. दोनों पैर गीले थे और रेत के कणों से सने हुए थे।
4. निचला होंठ नीला था।

गर्दन की आंतरिक जांच करने पर, गर्दन के ऊतक के अग्रभाग पर चोट लगी थी। अवटु उपास्थि की मध्य रेखा में भी चोट के निशान देखे गए। शव परीक्षण जांच के बाद मैंने राय व्यक्त कि मौत का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। सभी संकेत मृत्युपूर्व प्रकृति के थे और गर्दन की चोट की प्रकृति सामान्य काल में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु के बाद का समय लगभग 19 घंटे का था। मेरी विस्तृत शवपरीक्षण आख्या प्र. अभि.सा.14/क है जिस पर बिंदु 'क' पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

सामान्य विषाक्तता की संभावना को दूर करने के लिए मृतक के रक्त और अंतरांगा को सामान्य नमक में संरक्षित किया गया था।

इस स्तर पर, मैंने अंतरांगा आख्या देखी है जो प्र. अभि.सा.14/ख है जिसमें कोई सामान्य विषय नहीं पाया गया है। अंतरांगा आख्या तथा शव परीक्षण आख्या के अवलोकन के बाद मेरी अंतिम राय है कि मृत्यु का कारण दूसरे पक्ष द्वारा हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है।

दिनांक 4.05.2009 को मैंने थाना प्रशांत विहार के पुलिस थाने के उप.नि. सुनील कुमार द्वारा हैदरपुर जल संयंत्र में मृत पाए जाने के कथित इतिहास के साथ भेजे गए लगभग 6 साल के सनी पुत्र प्रेम सिंह के शव का शव परीक्षण भी किया।

मैंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटों को देखा।

1. बाएं हाथ पर वॉशरमैन अपीयरेंस है।
2. दोनों पैर गीले थे और रेत के कणों से सने हुए थे।
3. 1 से.मी. x 0.5 से.मी. आकार के तीन खरोंच अपघर्षण सामने की ओर दो संख्या में और बाईं ओर एक संख्या में।

गर्दन के आंतरिक परीक्षण पर, गर्दन के ऊतक को सामने के छोर पर चोट लगी थी और अवटु उपास्थि पर घाव हुआ था। शव परीक्षण जांच के बाद मैंने राय व्यक्त कि मौत का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। सभी संकेत प्रकृति में मृत्यु पूर्व थे और गर्दन की चोट की प्रकृति सामान्य स्थिति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु के बाद का समय लगभग 19 घंटे का था। मेरी

विस्तृत शवपरीक्षण आख्या प्र. अभि.सा.14/ग है जिस पर बिंदु 'क' पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

सामान्य विषाक्तता की संभावना को दूर करने के लिए मृतक के रक्त और अंतरांगा को सामान्य नमक में संरक्षित किया गया था।

इस स्तर पर, मैंने अंतरांगा आख्या देखी है जो प्र. अभि.सा.14/ख है जिसमें कोई सामान्य विषय नहीं पाया गया है। अंतरांगा आख्या तथा शव परीक्षण आख्या के अवलोकन के बाद मेरी अंतिम राय है कि मृत्यु का कारण दूसरे पक्ष द्वारा हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है।

XXXXX सुश्री सुधा भाटिया द्वारा, न्यायमित्र, अभियुक्त हेतु।

यह कहना गलत है कि मैंने जितेश और सनी के शव का शव परीक्षण नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने आख्या पर हस्ताक्षर किए हैं और पुलिस के कहने पर इसमें हेरफेर की है।"

6.5. अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह अनिवार्य रूप से जांच की प्रक्रिया से संबंधित पुलिसकर्मी थे। इन गवाहों में से अभि.सा.-18 उप.नि. सुनील कुमार ने जोर देकर कहा कि बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर वह जल उपचार संयंत्र पहुंचे जहां नहर से शवों को निकाला गया और अपीलार्थी ने उनकी पहचान की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने शवों को शव परीक्षण के लिए भेज दिया है। उन्होंने मृतक की मां

सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने और मामला दर्ज करने के बाद जांच अभि.सा.-17 निरीक्षक प्रताप सिंह को सौंपने के बारे में भी जानकारी दी। गवाह ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने एक इंकिशाफ बयान दिया और उसके बयान के अनुसार फर्द एवं स्थल योजना तैयार की गई थी। इस गवाह अभि.सा.-18 सुनील कुमार का प्रतिपरीक्षण इस प्रकार है:-

“दिनांक 3.5.2009 को मैं कांस्टेबल हेतु राम के साथ शाम करीब 7:45 बजे हैदरपुर नहर पर मौके पर पहुंचा। जब हम वहाँ पहुँचे तो प्रेम सिंह 1-2 लोगों के साथ वहाँ उपस्थित था। निरीक्षक सुधीर लगभग रात 8.30 बजे पर मौके पर पहुंचे और अपराध दल (क्राइम टीम) के अधिकारी कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक वहीं रहे। मैंने रोहिणी पुलिस चौकी पर दिनांक 03-04/05/09 पर राजेंद्र यादव और सुनीता नाम के गवाहों के बयान दर्ज किए। यह कहना गलत है कि डॉक्टर ने मेरे कहने पर मृत्यु के कारण के बारे में राय दी है।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त द्वारा कोई प्रकटीकरण बयान नहीं दिया गया था। यह कहना भी गलत है कि मैंने गवाहों के बयान उनके सही बयान के अनुसार दर्ज नहीं किए हैं। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ या कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है या मैंने जांच नहीं की और न ही मेरे द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों को तैयार किया है। यह कहना गलत है

कि अभियुक्त को दिनांक 03.5.2009 को पकड़ा गया था और अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखा गया था और बाद में उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था। यह कहना भी गलत है कि मैं गलत गवाही दे रहा हूँ।"

6.6. जाँच अधिकारी अभि.सा.-17 निरीक्षक प्रताप सिंह ने जाँच के दौरान की गई विभिन्न प्रक्रियाओं की गवाही दी। उनकी प्रतिपरीक्षण इस प्रकार है:-

“दिनांक 06.05.2009 पर मैं, शिकायतकर्ता तथा उप.नि. सुनील और अन्य कर्मचारियों के साथ सुबह लगभग 3 से 4 बजे घटनास्थल यानी हैदरपुर जल उपचार संयंत्र पहुँचा और लगभग एक घंटे तक वहाँ रहा। हम वर्दी में थे। अभियुक्त को 20 मीटर की दूरी पर इंगित किया गया था। वोल्ट. उस समय हम झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और अभियुक्त को दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने तुरंत अभियुक्त को काबू कर लिया। सबसे पहले मैंने अभियुक्त को पकड़ लिया। लिखापढ़ी का सारा काम बस स्टैंड पर बैठकर किया गया था। यह सही है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान मुख्य मार्ग है। हमने तीन/चार राहगीरों को जाँच में शामिल होने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। वोल्ट. मेरे पास लोक जनों को नोटिस जारी करने का समय नहीं था क्योंकि अभियुक्त हमारी हिरासत में था। सभी फर्द या तो मेरे द्वारा या मेरी देखरेख में मौके पर उपलब्ध पुलिस कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए थे। प्र.

अभि.सा.7/घ मेरी लिखावट में नहीं था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को हैदरपुर जल उपचार संयंत्र से दिनांक 03.05.09 को पकड़ा गया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त द्वारा कोई प्रकटीकरण बयान नहीं दिया गया था। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही पुलिस थाने में बैठकर की गई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त निर्दोष है जिसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है या कि उसने कथित अपराध नहीं किया या कि मैंने ठीक से जाँच नहीं की।"

अपीलार्थी का रुख

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जाँच में, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से प्रकट होने वाली परिस्थितियों को अपीलार्थी के सामने रखा गया था। यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने या तो अपने सामने रखी गई परिस्थितियों और आरोपों से इनकार किया या अभियोजन मामले का समर्थन करने वाले गवाहों के बयानों के संबंध में अपनी जानकारी की कमी बताई। पुनर्वास केंद्र में अपने प्रवेश और छुट्टी के संबंध में, अपीलार्थी ने कहा कि ऐसे तथ्य अभिलेख का विषय हैं। अंत में, उसका दावा था कि वह निर्दोष था और गवाहों ने उसके खिलाफ झूठे बयान दिए हैं। हालांकि, उसने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया।

**विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया एवं
आजीवन कारावास की सजा सुनाई**

8. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख की समग्रता से जांच करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को परिस्थितियों की ठोस और विश्वसनीय श्रृंखला द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित पाया, केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करते हुए, जो गला घोटकर पीड़ित बच्चों की मौत का कारण बना और शवों को नहर में फेंककर साक्ष्य को गायब कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई।

8.1. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अपराध को सिद्ध करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को संक्षेप में प्रस्तुत किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"37. वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है और अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सामने रखा है जिसे निश्चित रूप से नजरअंदाज

नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने अपने बेटों की हत्या के संबंध में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कुछ परिस्थितियों को दर्ज किया है जो इस प्रकार हैं:

(क) अभियुक्त प्रेम सिंह और उसके मृत बेटों, अर्थात् जितेश और सनी को अंततः उनके जीवित रहने तक उसके साथ देखा गया।

(ख) अभियुक्त प्रेम सिंह के लिए अपने बेटों की हत्या करने का कारण एवं अवसर।

(ग) अभियुक्त का आचरण

(घ) चिकित्सीय साक्ष्य

38. (क) अभियुक्त प्रेम सिंह और उसके मृत बेटों जितेश और सनी को आखिरकार तब तक उसके देखा रखा गया जब तक कि वे जीवित थे: जैसा कि पहले ही विस्तार से चर्चा की गई है, यह अभिलेख पर स्थापित एवं सिद्ध है कि स्वीकार्य रूप से अभियुक्त प्रेम सिंह, जो कि मृतक जितेश और सनी का पिता था, आखिरकार उनके घर में एक साथ थे, जब उसकी पत्नी सुनीता अभियुक्त प्रेम सिंह के साथ उक्त दोनों बच्चों को छोड़कर अपने मामा के घर गई थी और अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसके बाद वह दोनों बच्चों जितेश और सनी को सैर करने और आनंद लेने के लिए हैदरपुर नहर ले गया था और अभियुक्त ने कहा है कि जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो वे नहर में गिर गए और डूब गए और हालांकि उसने नहर में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, इस तरह से यह कहीं भी विवाद में नहीं है

कि अभियुक्त और मृतक बच्चे स्वीकार्य रूप से तब तक एक साथ थे जब तक कि वह मरे नहीं।

(ख) उक्त अपराध करने के लिए अभियुक्त प्रेम सिंह के उद्देश्य एवं अवसर: अभियुक्त प्रेम सिंह को निश्चित रूप से अपने बच्चों का गला घोटने का पर्याप्त अवसर मिला था क्योंकि उस दिन शाम करीब 7:45 बजे वह उन्हें नहर में ले गया और माना जाता है कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह भी पता चलता है जैसा कि विस्तार से चर्चा की गयी है कि अभियुक्त को अपनी पत्नी सुनीता के चरित्र पर संदेह था और उसे पहले से ही यह पूर्व धारणा थी कि जितेश और सनी उसके बेटे नहीं थे और इसलिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों के खिलाफ दुर्भावना विकसित कर ली थी और अपनी पत्नी के घर में नहीं होने के कारण एक उचित अवसर पाकर वह उन्हें खत्म करने के उद्देश्य से हैदरपुर नहर ले गया और बच्चों को लघुशंका करने के लिए कहा, जिसके बाद जब उसका बड़ा बेटा पहले आया तो उसने उसका गला घोट दिया और उसके शव को नहर में फेंक दिया और फिर उसके दूसरे बेटा आया जिसका भी उसने गला घोट दिया और फिर उसने शव को नहर में फेंक दिया और उसके बाद वह खुद यह नाटक करने के लिए नहर में कूद गया कि उसने कोशिश की थी।

(ग) अभियुक्त का आचरण: अभियुक्त प्रेम सिंह के आचरण के बारे में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है कि सबसे पहले वे अपने दोनों बेटों को हैदरपुर नहर में ले गया जहां उसने हाथ से उनका गला घोट

दिया और उनके शवों को नहर में फेंक दिया। फिर वह स्वयं नहर में कूद गया और काफी दूरी तक तैरकर बाहर आया, ताकि वह दूसरों को बता सके कि उसने उन्हें बचाने के लिए वास्तविक प्रयास किए थे, लेकिन व्यर्थ में, जिसे गलत बताया गया है जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। अभिलेख में यह भी सिद्ध है कि उसने खुद जल उपचार संयंत्र के अधिकारियों और फिर पास के पेट्रोल पंप के कर्मचारी को ऐसा बताया, जहां से उसने टेलीफोन पर पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया और फिर वही कहानी पुलिस अधिकारियों को सुनाई। वास्तव में, यह दोनों बच्चों के शव परीक्षणों के बाद ही सुस्पष्ट हो गया था कि उनकी मृत्यु डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उनके डूबने से पहले हाथ से गला घोटने से हुई थी, जो चोटें उनकी मौत का कारण बनने के लिए आमतौर पर पर्याप्त थीं और पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश करने के बाद, वह अपनी सद्भावना दिखाने के लिए जांच में शामिल हुआ, जो अभियुक्त के लिए व्यर्थ साबित हुआ।

(घ) चिकित्सीय साक्ष्य: अभिलेख के अनुसार, हालांकि अभियुक्त प्रेम सिंह ने कहा है कि दोनों बच्चों की मौत डूबने से हुई थी और उसने उन्हें डूबते हुए देखा था, फिर भी उनकी शव परीक्षण जांच आख्याओं ने उसके बयान को गलत साबित कर दिया है जो डॉ. वी. के. झा द्वारा अभिलेख पर विधिवत साबित किए गए हैं कि दोनों बच्चों का पहले हाथ से गला घोटा गया था, जो चोटें प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और प्रकृति के सामान्य काल में उनकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और दोनों मृतकों की मृत्यु इस तरह के

गला घोटने का परिणाम थी और डूबने का नहीं, जिसने अभियुक्त के इस कथन को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है कि उसके बेटों की मौत डूबने से हुई थी और यह साबित होता है कि उनकी मौत डूबने से नहीं बल्कि हाथ से गला घोटने से हुई थी।

39. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, जैसा कि अभिलेख पर रखा गया है और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचा गया गवाह ठोस, आश्वस्त करने वाला है और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है जहां तक कि वे घटना की सही तस्वीर के साथ प्रस्तुत हुए हैं और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही के लिए अभिलेख पर पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है और इस तरह अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कृत्रिमता या अतिशयोक्ति नहीं देखी गई है। न्यायालय की सुविचारित राय है कि:

(1) घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हैं और यह कि अभियुक्त प्रेम सिंह उसने अपने बेटों जितेश और सनी की हत्या कर दी थी जिसका कहीं भी खंडन या झूठ या हेरफेर नहीं किया गया है और यह विधिवत साबित होता है कि वह दोनों बच्चों के साथ अंत तक उपस्थित था और उनका गला घोट दिया था जिसके बाद उसने उनके शवों को नहर में फेंक दिया था और तदनुसार अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे अभियुक्त प्रेम सिंह के खिलाफ दोषी होने का निष्कर्ष निकालने की

चेष्टा की गई है जो अभिलेख पर ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया गया है।

(2) अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि परिस्थितियों ने प्रासंगिक तिथि, समय और स्थान पर जितेश और सनी की हत्या करने के संबंध में अभियुक्त प्रेम सिंह के दोषी होने की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया है, जिसके बाद उसने उनके शवों को नहर में फेंककर सबूतों को भी गायब कर दिया, जिस समय वह स्वयं को विधिक दंड से बचने का इरादा रखता था और इस संबंध में जानकारी देता था जिससे वह स्वयं अवगत था और जिसे गलत मानता था।

(3) अभियोजन पक्ष ने उन परिस्थितियों को भी साबित किया है, जो संचयी रूप से एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या अभियुक्त प्रेम सिंह ने अपने बेटों जितेश और सनी की संबंधित तिथि, समय और स्थान पर हत्या नहीं की थी।

40. (क) पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाह ठोस, आश्वस्त करने वाले और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने वाले हैं, जहां तक वे घटना की सही और स्पष्ट तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं और वास्तव में गवाहों के चश्मदीद संस्करणों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर न केवल एक-दूसरे से, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य से भी पर्याप्त संपुष्टि उपलब्ध है, जिसने गवाह को चिकित्सीय साक्ष्य के साथ पर्याप्त समर्थन दिया है, जिसमें डॉ. वी. के. झा ने स्पष्ट रूप

से राय दी है और प्रस्तुत किया है कि दोनों बच्चों जितेश और सनी की मौत डूबने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, जो चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं एवं जो सामान्य परिस्थितियों में उनकी मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी जिसे कहीं भी गलत या चालाकी युक्त नहीं बताया गया है तथा अभियोजन साक्ष्यों की गवाहियां किसी भी प्रकार की सन्निहित या गंभीर अदृढ़ता से ग्रस्त नहीं हैं जो मामले की जड़ तक जाती हो और उनके मूलभूत संस्करणों को क्षीण करती हो।

(ख) तदनुसार, दी गई परिस्थितियों में उपरोक्त पर विचार करते हुए और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर, एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि अभियुक्त प्रेम सिंह ने अपने दोनों बेटों अर्थात् जितेश और सनी की हाथ से गला घोटकर हत्या की थी और जो उनकी मौत का कारण बना जो चोटें मृत्युपूर्व सिद्ध हुई हैं और उनकी मौत का कारण बनने के लिए सामान्य परिस्थिति में पर्याप्त साबित हुई हैं और यह भी अभिलेख पर साबित होता है कि उनकी हत्या करने के बाद, उन्होंने उनके शवों को नहर में फेंक दिया था, ताकि अपने बेटों की हत्या करने के अपने अपराध के बारे में साक्ष्य को विधिक दंड से बचने और जांच करने के इरादे से नष्ट कर दिया जाए। चूंकि अभियोजन अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे अभिलेख पर सिद्ध करने में सफल रहा है, इसलिए अभियुक्त प्रेम सिंह को भा.दं.सं. की धारा 302/201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। उसे दंड के समय पर सुना जाए।"

8.2. विचारण न्यायालय ने दंड के प्रश्न पर आगे पक्षकारों को सुना। इस सुनवाई में अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां इस तथ्य के मद्देनजर उदारता के लिए थीं कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वर्ष 2009 से उस पर विचारण चल रहा था; और आगे यह कि उसके पास एक परिवार था पालने पोसने के लिए और वह एकमात्र रोटी कमाने वाला था। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 08.09.2011 के आदेश में, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों और अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक दंड देना उचित समझा और तदनुसार, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन सश्रम कारावास और इसमें चूक की स्थिति में अनुबद्ध सजा सुनाई; भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 2000/- रुपये का जुर्माना और इसमें चूक की स्थिति में अनुबद्ध सजा सुनाई एवं दोनों दण्डादेशों को समवर्ती रूप से चलाया जाना निर्धारित किया।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

9. उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से अनिवार्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि सभी स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और घटनाओं की श्रृंखला में लापता कड़ियाँ थी, विशेष रूप से जब अपीलार्थी और उसकी पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के आरोप और अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह करने के आरोप निरस्त हो गए थे। यह तर्क दिया गया था कि दी गई परिस्थितियों में, कोई कारण नहीं था जिसके लिए अपीलार्थी ने अपने ही बच्चों को मार दिया होगा। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि बच्चों की मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, न कि डूबने के कारण; और उन्हें अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, तो उस पर अपने बच्चों के ठिकाने के साथ-साथ जिस तरह से उनका गला घोंटा गया था, उसे स्पष्ट करने का दायित्व था। यह तर्क दिया गया कि इस दायित्व का निर्वहन करने के बजाय, अपीलार्थी ने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने के बारे में गलत जानकारी दी, जैसा कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है।

9.1. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य का फिर से विश्लेषण किया और इस तर्क को खारिज करते हुए कि अपीलकर्ता को गलत तरीके से आलिप्त किया गया था या अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण विसंगतियां थीं, अपने दिनांक 29.02.2016 के निर्णय व आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार पाया कि:

"52. उपरोक्त अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, हम ध्यान दे सकते हैं कि अभि.सा.-4, महेश कुमार शर्मा और अभि.सा.-6, कोमल राम महत्वपूर्ण गवाह हैं। दोनों गवाहों ने गवाही दी है कि वे दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी दिनांक 03.05.2009 को हैदरपुर जल उपचार संयंत्र में झूटी पर थे। दोनों ने यह भी गवाही दी है कि अपीलार्थी ने पहले महेश कुमार से संपर्क किया था और उसे सूचित किया था कि वह अपने दो बेटों के साथ नहर के पास आया था जो नहर के पास खेल रहे थे, वे नीचे गिर गए और डूब गए। महेश कुमार की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी उनसे शाम लगभग 7:45 बजे मिला था और महेश कुमार ने 100 नंबर पर शवों की बरामदगी के बारे में यह जानकारी दी थी। इस कथन की सत्यता पर, अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। अभि.सा.-6, कोमल राम ने भी अभि.सा.-4 की तर्ज पर गवाही दी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जो इस स्तर पर ध्यान देने योग्य है,

वह यह है कि अपीलार्थी द्वारा अपने बेटों के साथ नहर में नहीं जाने और अपने बेटों के डूबने के बारे में अभि.सा.-4 और अभि.सा.-6 को सूचित नहीं करने के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, जो उसके साथ थे और खेलते समय डूब गए थे।

53. नरेश कौशिक, अभि.सा.-1 ने गवाही दी है कि दिनांक 03.05.2009 को जब वह इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, हैदरपुर जल संयंत्र के सामने शालीमार बाग में शाम लगभग 8:25 बजे डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था, अपीलार्थी उसके पास आया और उसे बताया कि हैदरपुर नहर के पास अपने बेटों के साथ चल रहा था और जब उनके दोनों बेटे खेल रहे थे, तो वे नहर में गिर गए और डूब गए, जबकि उसने नहर में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी। अपीलार्थी ने उनसे 100 नंबर पर कॉल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति में दूरभाष संख्या 27492035 पर पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त तथ्यों के बारे में बताया। दिनांक 06.05.2009 को, उन्होंने पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अपीलार्थी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जिसने दिनांक 03.05.2009 को 100 नंबर पर शाम 8:15 पर कॉल की थी। टेलीफोन नंबर 27492035 का बिल प्र. अभि.सा. 1/क और अभि.सा.-1 की गवाही स्थापित होती है कि अपीलार्थी द्वारा 100 नंबर पर एक फोन कॉल की गयी थी।

54. अभि.सा. -1, नरेश कौशिक ने उस अपीलार्थी की भी पहचान की थी जिसने उसके फोन से फोन किया था। हम, इस स्तर पर, यह भी ध्यान दे सकते हैं कि

हालांकि अपीलार्थी की पत्नी मुकर गई थी, लेकिन जहाँ तक अपीलार्थी की संगति में आखिरी बार बच्चों को देखे जाने का संबंध है, यह अपीलार्थी की पत्नी, अभि.सा.-9, सुनीता यादव की गवाही से स्थापित होता है। उसने गवाही दी कि "घटना के दिन, मैं अपने मामा के घर गई क्योंकि मेरी नानी बीमार थी और अपने दोनों बेटों को उनके पिता/अभियुक्त के पास छोड़ गयी थी।"

55. अभि.सा.-1, 4, 6 व 9 की गवाही के आलोक में, हमारे विचार में, यह दृढ़ता से स्थापित है कि अभि.सा.-9 की गवाही के अनुसार बच्चे अपने पिता के साथ थे। अभि.सा.- 1, 4 व 6 की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी ने स्वयं उन्हें सूचित किया था कि उसके बच्चे उसके साथ नहर पर आए थे और खेलते समय वे डूब गए थे। इस पहलू पर अभि.सा.-1, 4 व 6 की गवाही अखंडित रहीं हैं।

56. डां वी. के. झा, अभि.सा.-14 ने गवाही दी है कि मौत का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना है और सभी चोटें प्रकृति में मृत्यु पूर्व थीं और उनके गर्दन की चोट सामान्य स्थिति में उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। डां. झा के साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बच्चों की मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि हाथ से गला घोटने से हुई थी। न तो अपीलार्थी इस गवाही के परीक्षण में कोई कमी और न ही हमारे लिए डां. वी. के. झा की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण है।

57. उद्देश्य स्थापित हो गया है। अभि.सा.-7 महेंद्र कुमार यादव की गवाही पढ़ने पर, मृतक उसकी भतीजी

सुनीता के बेटे थे। उन्होंने गवाही दी है कि अपीलार्थी उनकी भतीजी सुनीता की पवित्रता पर टिप्पणी करता था और उस पर कुचरित्र का आरोप लगता था। उसे शराब पीने और सुनीता को पीटने की आदत थी। इस गवाह ने यह भी गवाही दी है कि अपीलार्थी टिप्पणी करता था कि बच्चे उसके नहीं बल्कि किसी और के थे और वास्तव में, पार्क में बच्चों को बिजली का झटका देकर उन्हें मारने का प्रयास किया था। हालांकि, बच्चों को उनकी मां ने बचा लिया। अतीत में, सुनीता 5 से 6 महीने तक अभि.सा.-7 के घर में रही थी, हालांकि, वह अपने पति के साथ हो गई, लेकिन वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा और अनुचित तरीके से बात करता था और उस पर यौन गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाता रहा। यहां तक कि अभि.सा.-7 की गवाही के अनुसार, दिनांक 03.05.2009 को भी मृतक की मां उसके घर आई थी और उसे सूचित किया था कि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा कर रहा था। उन्होंने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उसी दिन उन्हें पुलिस का फोन आया कि उनकी भतीजी के दोनों बच्चों की नहर में डूबने से मौत हो गई है। अभि.सा.-7 ने आगे गवाही दी है कि उसे संदेह था कि दोनों बच्चे अपने आप नहीं डूबे थे, बल्कि अपीलार्थी ने उनकी हत्या कर दी थी।

58. अभि.सा.-8, राजेंद्र यादव ने यह भी गवाही दी है कि उसकी भतीजी की शादी अपीलार्थी से हुई थी और जब भी सुनीता उनके घर आती थी, तो वह शिकायत करती थी कि अपीलार्थी उसे प्रताड़ित करता था और उसके साथ-साथ बच्चों को भी पीटता था। दोनों बच्चों की मृत्यु की खबर मिलने पर, इस गवाह ने यह भी

गवाही दी कि उसे इस बात का गहरा संदेह था कि अपीलार्थी ने सुनीता के चरित्र के मुद्दे पर अपने बच्चों को डुबो दिया था।

59. अभि.सा.-7 एवं अभि.सा.-8 की गवाही के संदर्भ में, उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अपीलार्थी शराब के प्रभाव में अपनी पत्नी और बच्चों को पीटता था। उसे संदेह था कि बच्चे उसके नहीं बल्कि किसी और के हैं। अपीलार्थी ने अभि.सा.-1, अभि.सा.-4 व अभि.सा.-6 को सूचित किया कि बच्चे डूब गए थे, जबकि अभि.सा.-14, डॉ. वी. के. झा की गवाही के अनुसार, शवों पर बाहरी चोटें पाई गईं और मौत का कारण हाथ से गला घोटना था। इस प्रकार, हमारे विचार में, अपीलार्थी का आचरण भी उसके दोष की ओर इशारा करता है।

60. ऊपर चर्चा की गई गवाहियों के आलोक में, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियां कि अपीलार्थी को गलत तरीके से अलिप्त किया गया है या उसकी गवाही में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं या यह तथ्य कि अपीलार्थी की पत्नी पक्षद्रोही हो गई है और इस प्रकार अपीलार्थी को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है, जो सभी बिना किसी बल के हैं। विचारण न्यायालय ने उन सभी महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए एक सुविचारित आदेश पारित किया है जिन पर यहां ऊपर चर्चा की गई है।

61. हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं है एवं तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।"

विरोधी प्रस्तुतियाँ

10. उपरोक्त निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए विभिन्न प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अरक्षणीय है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है, विशेष रूप से जब अपीलार्थी और उसकी पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के आरोप साबित नहीं हुए हैं और किसी भी मामले में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खुद के बच्चों की हत्या करने के उद्देश्य को स्थापित करने में विफल रहा है; कि अपीलार्थी अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था जब स्वीकार्य रूप से उसे शराब पीने की आदत थी, उसे पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया था, और उसे केंद्र की सलाह के खिलाफ छुट्टी दिलाई गई थी; कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के संदर्भ में अपीलार्थी की मानसिक क्षमता की जांच करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा और इसलिए, समस्त विचारण को भांग कर देता है; और यह कि किसी भी मामले में, उसके ऊपर आपराधिक मनःस्थिति नहीं लगाया जा सकता था, जिसे संदेह का लाभ नहीं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत अपवाद का लाभ पाने के योग्य है।

10.1. सबसे पहले, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए जो पूर्णतः अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है; और ऐसे मामलों में, उद्देश्य महत्वपूर्ण महत्व रखता है। वर्तमान मामले में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थी के अपनी पत्नी के साथ कथित तनावपूर्ण संबंधों के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित उद्देश्य अपीलार्थी के लिए अपने बच्चों की हत्या करने के लिए पर्याप्त ठोस उद्देश्य नहीं था और किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी की पत्नी, अभि.सा.-9 ने, ऐसे आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता, इसलिए, प्रतिवाद करेंगे कि परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी, यानी, उद्देश्य, स्थापित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी बरी होने का हकदार है।

10.2. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा उसकी शराब की कथित लत और पुनर्वास केंद्र में उसके प्रवेश के संदर्भ में था। अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता विशेष रूप से अपीलार्थी के चचेरे भाई अभि.सा.-2

पूरन सिंह और पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक अभि.सा.-3 जगबीर के बयानों के संदर्भ में तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी का निस्संदेह शराब की लत के लिए इलाज चल रहा था और उन्हें सलाह के खिलाफ समयपूर्व मुक्त कर दिया गया था; और, अभिलेख पर साक्ष्य, समग्र रूप से, इस स्थिति की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी को अपने कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, भले ही अभि.सा.-2 व अभि.सा.-3 का साक्ष्य भा.दं.सं. की धारा 84 का लाभ देने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से अपीलार्थी की मानसिक क्षमता के संबंध में संदेह को जन्म देता है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर रखे गए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है कि दोषसिद्धि के बाद भी, अपीलार्थी का उसकी मानसिक स्थिति के लिए इलाज किया गया है; उसे एक मनोरोग मामले के रूप में माना गया था; और उसे इलाज के लिए केंद्रीय जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

10.3. अपीलार्थी की मानसिक क्षमता से संबंधित उपरोक्त कारकों के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत

करेंगे कि वर्तमान मामले में पूरा विचारण दूषित है, क्योंकि विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के संदर्भ में अभियुक्त-अपीलार्थी की क्षमता की जांच करने में चूक की है। विद्वान अधिवक्ता ने *गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय मंजुबेन: 2019 एससीसी ऑनलाइन गुज 6937* मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि, वर्तमान मामले में, साक्ष्य में उपस्थित होने वाले अपीलार्थी की मानसिक क्षमता से संबंधित पृष्ठभूमि कारकों को देखते हुए, यह परीक्षण करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था कि क्या वह अस्वस्थ दिमाग का था और इसके परिणामस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ था।

10.3.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि जब अभियोजन पक्ष और अन्वेषण अभिकरण को अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में सबूत मिले, तो यह उनका कर्तव्य था कि वे उसकी चिकित्सकीय जांच करें और विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत पेश करें। ऐसा न किए जाने के कारण, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दुर्बलता के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने *अजय राम पंडित बनाम महाराष्ट्र राज्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन बम 3920* बॉम्बे के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है।

10.3.2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि हालांकि वर्तमान मामले में न तो लोक अभियोजक और न ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की मानसिक क्षमता का मुद्दा उठाया है, लेकिन विशेष रूप से उसके सामने उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को देखते हुए विचारण न्यायालय उसकी मानसिक क्षमता का पता लगाने के लिए बाध्य था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस तरह का आकलन करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था और उस उद्देश्य के लिए निर्णायक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी और कुछ संदेह की उपस्थिति ही पर्याप्त थी। आवश्यक जाँच न किए जाने के कारण, विचारण दूषित हो जाता है और परिणामस्वरूप, अभियुक्त-अपीलार्थी को लाभ दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने भी *ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक: (1988) 2 एससीसी 602* के निर्णय का उल्लेख किया है यह प्रस्तुत

करने के लिए कि न्यायालय के कर्म से किसी वादी को हानि नहीं होनी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **एरिक डॉलबी बनाम डेलावेयर राज्य** में डेलावेयर राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02.03.2012 को निर्णीत निर्णय का भी उल्लेख किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि इसमें अभियुक्त को क्षमता का बचाव करने की अनुमति दी गई थी, भले ही यह अधिवक्ता द्वारा नहीं उठाया गया था और प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय को प्रवृत्ति/क्षमता के संबंध में अभियुक्त की जांच का आदेश देना चाहिए था।

10.3.3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुतियों का इस प्रभाव तक विस्तार किया है कि चूंकि अभि.सा.-2 और अभि.सा.-3 के साक्ष्य ने अपीलार्थी की मानसिक क्षमता के संबंध में संदेह उत्पन्न किया है, इसलिए विचारण न्यायालय को अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जांच के समय ऐसी सामान्यता/असामान्यता की परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना चाहिए था क्योंकि इन पहलुओं का प्रभाव उसकी क्षमता और अंततः उसके बचाव पर पड़ेगा। विद्वान अधिवक्ता ने **राहुल बनाम**

दिल्ली राज्य सरकार, गृह मंत्रालय व अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 1532 के मामले में इस न्यायालय के एक अवलोकन के संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया है कि एक न्यायाधीश से एक निष्क्रिय विपंच होने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन उनसे विचारण में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु गवाहों से पूछताछ करना अपेक्षित है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि, वर्तमान मामले में, दोष को स्थापित करने के लिए जांचे गए गवाहों से प्रासंगिक घटकों पर जिरह नहीं की गई थी, विशेष रूप से अपीलार्थी की मानसिक क्षमता के संबंध में, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

10.4. प्रस्तुतियों के अंतिम भाग में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही यह माना जाए कि अभिलेख पर साक्ष्य अपीलार्थी की मानसिक अक्षमता को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन इसने वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के सभी घटकों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित संदेह उत्पन्न किया है, जिसमें आपराधिक मनःस्थिति भी शामिल हैं और

इसलिए, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिए जाने का अधिकार है। विद्वान अधिवक्ता विकल्प में यह भी प्रस्तुत करते हैं कि दोषसिद्धि, यदि बिल्कुल भी हो, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत होनी चाहिए थी। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **किंग - एम्परर बनाम तिनकोरी धोपी: 1922 एससीसी ऑनलाइन कल 90** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि उसमें अपीलार्थी, जो एक आदतन गांजा धूम्रपान करने वाला था, की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया था और तदनुसार, न्याय के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन में परिवर्तित कर दिया गया था।

10.5. इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विचारण में गंभीर दुर्बलता को देखते हुए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए और वैकल्पिक रूप से, दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाना चाहिए और सजा को पहले से गुजर चुके कारावास की अवधि तक कम किया जाना चाहिए।

11. अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी - राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभिलेख पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य निस्संदेह अपीलार्थी के अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं और हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

11.1. प्रत्यर्थी - राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि मौलिक तथ्य निर्विवाद रहता है कि अपीलार्थी मृत बच्चों के साथ अंतिम व्यक्ति था और पेट्रोल पंप पर परिचर अभि.सा.-1 और जल उपचार संयंत्र में इयूटी पर तैनात कर्मियों अभि.सा.-4 और अभि.सा.-6 के बयान से यह पूर्ण रूप से स्थापित होता है। इसके अलावा, यह तथ्य कि बच्चे अपीलार्थी के साथ थे, अपीलार्थी की पत्नी अभि.सा.-9 की गवाही में भी स्थापित होता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि घटना के समय और स्थान पर मृत बच्चों के साथ किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति इंगित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है; और अपीलार्थी ने किसी अन्य स्थान पर अपनी उपस्थिति या मृतक से अलग होने का संकेत नहीं दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अभि.सा.-14 के चिकित्सा साक्ष्य में

संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीड़ित बच्चों की मृत्यु का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, परिस्थितियों के दिए गए समूह में, जब पीड़ित बच्चों की मृत्यु प्रकृति में मानव वध की थी और अपीलार्थी ने एक गलत कथा पेश करने का प्रयास किया कि वे संयोग से नहर में गिर गए, तो उसके दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त होना नहीं कहा जा सकता है।

11.2. विद्वान अधिवक्ता ने **साबित्री सामंताराय बनाम ओडिशा राज्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 673** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उल्लेख किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ऐसी परिस्थितियों में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है जो उसकी विशेष जानकारी में थीं, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से मृत व्यक्ति के अपीलार्थी के साथ होने के बारे में बुनियादी तथ्यों को स्थापित कर दिया था और यह कि उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के साथ मानव वध की

प्रकृति की थी, अपीलार्थी के स्पष्टीकरण का अभाव निश्चित रूप से घटनाओं की श्रृंखला में एक ठोस कड़ी प्रदान करता है।

11.3. जहां तक उद्देश्य का संबंध है, प्रत्यर्थी - राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से अभि.सा.-7 एवं अभि.सा.-8 की गवाही का उल्लेख करते हुए कहा है कि तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए थे कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण थे; और इस तरह के तनावपूर्ण संबंधों का कारण अपीलार्थी का उसकी पत्नी के चरित्र पर लगातार संदेह था और ऐसे में, पीड़ित लड़कों के पिता होने पर उसका संदेह था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पीड़ित बच्चों की हत्या हेतु एक मजबूत उद्देश्य का मामला भी स्थापित होता है जहां अपीलार्थी को संदेह था कि वे उसके बेटे नहीं हैं।

11.4. जहां तक अपीलार्थी की मनोविकार की याचिका का संबंध है, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऐसी याचिका कभी भी बचाव में या साक्ष्य में या अभिवचन में या इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में भी नहीं उठाई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे

प्रस्तुत किया है कि विधिक सिद्धांत के रूप में, यदि अभियुक्त व्यक्ति की विक्षिप्तता का पूर्व इतिहास सामने आता है, तो जांच अधिकारी कर्तव्यबद्ध है कि वह उसकी चिकित्सा जांच कराए और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करे; और ऐसा करने में विफलता गंभीर दुर्बलता हो सकती है जिससे अभियुक्त को संदेह का लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में, आचरण और मानसिक स्थिति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर है और न्यायालय को इसके विपरीत धारणा बनाना अपेक्षित नहीं है। **बापू उर्फ गजराज सिंह बनाम राजस्थान राज्य : (2007)**

8 एससीसी 66 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की मानसिक अस्वस्थता का अभिवचन न केवल इस तथ्य के कारण असमर्थनीय है कि विचारण के दौरान या उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं रखा गया था, बल्कि इसलिए भी कि अपीलार्थी का विक्षिप्तता का कोई पिछला इतिहास नहीं था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक अभि.सा.- 3 की गवाही का उल्लेख इस आशय से किया है कि प्रवेश की अवधि के दौरान, अपीलार्थी का व्यवहार एक साधारण

विवेकपूर्ण व्यक्ति की तरह था और उसे कभी भी मानसिक रोग के लिए कोई दवा नहीं दी गई थी, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी गई थी और न ही उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई पूर्व इतिहास दिया गया था।

11.5. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि मानसिक अस्वस्थता की याचिका, यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल बचाव पक्ष द्वारा आपराधिक मनःस्थिति के गठन को खारिज करने के लिए उठाई जा सकती है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों को लागू करने के लिए कथित पश्चात्कर्ती मानसिक रोग का मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, असामान्य व्यवहार की शिकायतों के कारण मनोचिकित्सा वार्ड में अपीलार्थी के दोषसिद्धि के बाद के उपचार का संदर्भ अपीलार्थी के लिए उपयोगी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने *श्रीकांत आनंदराव भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2002) 7 एससीसी 748* एवं *दहियाभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य: एआईआर 1964 एससी 1563* में इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित किया है।

11.6. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि इस प्रभाव के लिए सुझाव कि अपीलार्थी को आवश्यक जानकारी हो सकती है, लेकिन अपराध करने का इरादा नहीं था, असमर्थनीय है, अन्य बातों के साथ साथ कि अपीलार्थी ने अपने बच्चों को नहर ले जाकर अपराध की सावधानीपूर्वक योजना बनाई, वह भी तब जब वह अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उनकी अभिरक्षा एकमात्र उसमें निहित थी; उसने एक-एक करके बच्चों का निर्दयता से गला घोट दिया और यदि किसी भी अवसर पर बोध की कल्पना की जानी थी, तो कम से कम पहले बच्चे को मारने के बाद उसके पास स्वयं को रोकने और दूसरे को न मारने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दो बच्चों की वीभत्स हत्या के बाद, अपीलार्थी ने आसपास के व्यक्तियों के साथ बातचीत करके एक विस्तृत चाल चली और बच्चों के डूबने की मनघडंत कहानी गढ़ने का प्रयास किया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, तथ्यों के दिए गए समूह में, अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में निहित किसी भी अपवाद के तहत नहीं आता है और इसलिए, उसके खिलाफ

समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करते हैं।

इस अपील का दायरा तथा विस्तार

12. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने इस मामले में समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है जिससे एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी अपने बेटों की हत्या और सबूतों को गायब करने के अपराधों का दोषी है। यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील में मामलों की जांच करने के मानदंड इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में बारंबार अधिकथित किए गए हैं, लेकिन इस मामले में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम उपयोगी रूप से *पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 176 के मामले में टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 व 136 एवं उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपीली अधिकारिता विस्तारण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 का उल्लेख करने के बाद और प्रासंगिक निर्णयों के

विस्तृत संदर्भ के साथ, इस न्यायालय ने एक नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में सूक्ष्म अंतर को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया है:-

"20...विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से अस्वीकार किया, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए किसी अन्य न्यायालय में निपटाया जा सकता है। निस्सन्देह, यदि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को विधि या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से दूषित कहा जा सकता है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हो सकता है, तो यह न्यायालय, और उचित मामलों में, न्याय की अहम या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ऐसा मार्ग केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है। संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है। यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा यह है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश करे ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय

द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।”

"12.1. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या समवर्ती निष्कर्ष इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं, यह दोहराते हुए कि साक्ष्य का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन इस अपील के दायरे में नहीं है, भले ही हमने अपने सामने आग्रह किए गए तर्कों द्वारा उचित रूप द्वारा निपटने के लिए पूरे साक्ष्य को ध्यानपूर्वक देखा गया हो।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत:

स्पष्टीकरण का दायित्व; पक्षद्रोही साक्ष्य; एवं उद्देश्य

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां थीं और चिकित्सा साक्ष्य और अपीलार्थी के स्पष्टीकरण की तथाकथित असत्यता सहित कारकों का अवलंब लेना अपीलार्थी के विरुद्ध दोष के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से जब उद्देश्य से संबंधित आरोप स्थापित नहीं किए गए हैं। इस तरह की दलीलों पर

विचार करते समय, हम उपयोगी रूप से मामले में लागू बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान दें सकते हैं।

13.1. *शरद बिरधिचंद्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य:*
(1984) 4 एससीसी 116 के मामले में स्पष्ट किए गए एवं प्रतिपादित सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण के संबंध में न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में विद्यमान रहता है। इसमें, इस न्यायालय ने प्रसिद्ध निर्णय *हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य* : एआईआर 1952 एससी 343 का संदर्भ लिया तथा निम्नलिखित शब्दों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को साबित करने के पांच सुनहरे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया:-

"152. न्यायमूर्ति महाजन ने *हनुमंत मामले* में जो अधिकथित किया, उसे उद्धृत करना उपयोगी होगा:

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वह सबसे पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी

चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो कि हर परिकल्पना को अपवर्जित करे, सिवाय उसके जिसे साबित करना प्रस्तावित है। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं छोड़ती हो और यह ऐसी होनी चाहिए जो दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "हो या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक विधिक अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य* में अभिनिर्धारित किया गया था जहां टिप्पणियां की गई थीं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से

पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की दूरी लंबी है और निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करता है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।"

13.1.1. यह भी ध्यान देने योग्य है कि **शरद**

बिरदीचंद्र सारदा के उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा

करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या गलत बचाव का उपयोग करने के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया है:-

"158. देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही जोरदार तर्क पर ध्यान देना यहां आवश्यक हो सकता है जो उनके इस तर्क के पूरक के रूप में है कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को और दृढ़ किया जा सके....

159. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण के अभाव या त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय ने पहले जो कहा था, उसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात् एक गलत स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

- (1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ *संतोषजनक रूप से साबित* की गयी हैं,
- (2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और
- (3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट है।

160. यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो न्यायालय न्यायालय को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं...."

14. अन्य लागू प्रावधानों और सिद्धांतों की ओर बढ़ते हुए, हम उपयोगी रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर ध्यान दें सकते हैं, विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार डालते हुए, और एक अभियुक्त के लिए इसके संचालन के संबंध में कुछ प्रासंगिक निर्णय।

14.1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 निम्नानुसार है:-

"106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार

-

- जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।"

14.2. *त्रिमुख मरोटी किरकन बनाम राज्य महाराष्ट्र:*

(2006) 10 एससीसी 681 मामले में, अभियुक्त पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था; अभियुक्त-पति द्वारा मृतक-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था; और हालांकि पीड़िता का गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके माता-पिता और गाँव के सभी लोगों को दी गई जानकारी यह थी कि उसकी मृत्यु सर्पदंश

के कारण हुई थी। मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संचालन और अभियुक्त द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण के अभाव या गलत स्पष्टीकरण देने के प्रभाव को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंशों में व्याख्या दी:-

"14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर होता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावरों को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा यदि न्यायालयों द्वारा ऊपर देखे गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक विचारण की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं। (*स्टर्लैंड बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स* देखें - *पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह में अरिजीत पसायत, नया. द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत*)। विधि अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं करता है जिसको प्रस्तुत करना लगभग असंभव है या

किसी भी तरह से प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन है। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करना है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने में सक्षम हो। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

15. जहां हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गोपनीयता में किया जाता है, तो मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी ही नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए बंदी कैदियों पर एक ठोस स्पष्टीकरण देने का भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था। बंदी कैदी केवल चुप रहकर और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर भाग नहीं सकते हैं कि अपने मामले को स्थापित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और कोई भी स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य अभियुक्त पर नहीं है।

* * *

* * *

* * *

21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध नहीं है, विधि

का एक और सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि जब अभियुक्त के सामने एक अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति रखी जाती है और उक्त अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या एक स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तो वह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। यह दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई निर्णयों में अपनाया गया है।"

14.3. *सुद्रु बनाम छत्तीसगढ़ राज्य: (2019) 8 एससीसी*

333 मामला वह था जहाँ अपीलार्थी पर उसके घर में उसके बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया था; और अपीलार्थी की पत्नी सहित प्रमुख अभियोजन गवाह अभियोजन पक्ष के खिलाफ हो गए, लेकिन उनकी गवाही से तथ्य सामने आए कि अपीलार्थी के सानिध्य में मृतक को अकेले छोड़ दिया गया था तथा अगले दिन, मृतक मृत पाया गया। मामले की मुख्य विशेषताओं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की आवश्यकताओं के संचालन पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य के प्रासंगिक भाग पर विचार करने और अभियुक्त की ओर से अपने भार का निर्वहन करने में विफलता के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में सभी गवाह जो अभियुक्त और मृतक के रिश्तेदार हैं, मुकर गए हैं। अभि.सा. 1 जानकी बाई, अपीलार्थी की पत्नी और मृतक की माँ भी मुकर गई हैं। हालांकि, अब तक यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य के ऐसे हिस्से को, जो विश्वसनीय पाया जाता है, ध्यान में रखा जा सकता है और पूरे साक्ष्य को त्यागना आवश्यक नहीं है।

* * *

* * *

* * *

"8. मामले के इस दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त तथ्य को स्थापित करने के बाद, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित हो जाएगा। एक बार जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि यह मृतक और अपीलार्थी हैं, जो उस कक्ष में अकेले थे और अगले दिन सुबह मृतक का शव मिला, तो अपीलार्थी पर यह स्पष्ट करने का दायित्व आ जाता है कि उस रात क्या हुआ और मृतक की मृत्यु कैसे हुई।

14.4. उपरोक्त के अलावा, हम *सावित्री सामंतराय* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के हाल के निर्णय पर भी उपयोगी रूप से ध्यान दें सकते हैं। इसमें, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि यदि अभियुक्त

का कोई भिन्न इरादा था, तो तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं जिन्हें उसे साबित करना चाहिए; और यदि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में, अभियुक्त एक फंसाने वाले प्रश्न के जवाब से बचता है जो एक ऐसा जवाब देता है जो सच नहीं है, तो ऐसी प्रतिक्रिया, स्वयं, घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"19. इस प्रकार, यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके भार से मुक्त करना नहीं है, यह उन मामलों में लागू होता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, जिनसे अभियुक्त के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अतिरिक्त, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में, जब भी अभियुक्त से कोई आरोपित करने वाला प्रश्न पूछा जाता है और वह या तो उत्तर से बचता है, या कोई ऐसा उत्तर देता है जो सत्य नहीं है, तो ऐसी प्रतिक्रिया अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है।"

15. जहाँ तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की प्रासंगिकता का संबंध है,

अधिकारियों का ध्यान इन सिद्धांतों पर होता है कि यदि उद्देश्य साबित हो जाता है, तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक और कड़ी प्रदान करेगा, लेकिन उद्देश्य के अभाव में अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, हालांकि उद्देश्य का ऐसा अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में होता है। **अनवर अली व अन्य बनाम हिमाचल राज्य: (2020) 10 एससीसी 166** मामले में, इस न्यायालय ने पूर्व निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ लिया है और उन का अवलंब लिया है और निम्नानुसार अधिकथित किया है:-

"24. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष उद्देश्य को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, यह सच है कि उद्देश्य को साबित करने का अभाव अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी सच है और **सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य** में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि उद्देश्य साबित हो जाता है तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा, लेकिन इसका अभाव अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, उसी समय, जैसा कि **बाबू** के मामले में इस

न्यायालय द्वारा पाया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य के अभाव में एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है। पैरा 25 व 26 में, इसे निम्नानुसार पाया एवं अभिनिर्धारित किया गया है:-

"25. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल में*, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में उद्देश्य के महत्व की जांच की तथा टिप्पणी की कि:

'38. उद्देश्य एक ऐसी चीज है जो मुख्य रूप से अभियुक्त स्वयं जानता है और अभियोजन पक्ष के लिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तव में उसे विशेष अपराध करने के लिए किसने प्रोत्साहित या प्रेरित किया था।

39. उद्देश्य को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करती हैं, यह दुर्बल नहीं होता है, भले ही उद्देश्य बहुत ठोस न हो।'

26. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य के अभाव में एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में है। (*पन्नयार बनाम तमिलनाडु राज्य के द्वारा*)।”

इस मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को लागू करना

16. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम इस मामले के तथ्यों और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों की जांच करते हैं, तो हम अपीलकर्ता हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए प्रतिविरोधों में कोई सार नहीं पाते हैं।

16.1. अभिलेख पर यह पर्याप्त रूप से स्थापित है कि क्रमशः 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु के मृत बच्चों की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी और हालांकि शवों को नहर से निकाला गया था, लेकिन यह उनके डूबने का मामला नहीं था, लेकिन जैसा कि विशेष रूप से शव परीक्षण आख्या एवं अभि.सा.-14 डॉ. वी. के. झा की गवाही से साबित होता है, उनकी मृत्यु का कारण हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। अभि.सा.-14 डॉ. वी. के. झा की गवाही पर अविश्वास करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। इस साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने का एकमात्र तरीका यह था कि उसने पीड़ित बच्चों के शवों का शव परीक्षण नहीं किया और उसने पुलिस के कहने पर आख्या में हेरफेर की। हम इस प्रकार की प्रतिपरीक्षा में कोई सार

या तर्क ढूँढ पाने में असमर्थ हैं। यह तथ्य कि पीड़ित बच्चों के शव वास्तव में नहर से बरामद किए गए थे, शायद ही संदेह का विषय है और वास्तव में अभि.सा.-18 उप.नि. सुनील कुमार, अभि.सा.-17 निरीक्षक प्रताप सिंह और अन्य निजी गवाहों की गवाही में स्थापित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के रिश्तेदार और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। यह कहना बहुत दूर की बात थी कि चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित बच्चों के शवों की जांच नहीं की, जैसा कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उन्हें भेजा गया था या उन्होंने आख्या में हेरफेर की। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, समग्र रूप से लिए जाने पर, संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं कि पीड़ित बच्चों का हाथ से गला घोंटा गया था जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़ाहिर है, इसके बाद उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया ताकि ऐसा दिखाया जा सके जैसे कि यह डूबने का मामला हो।

16.2. यह तथ्य कि मृत बच्चे, जब जीवित थे, अंत में केवल अपीलार्थी के साथ थे, भी बहुत संदेह या बहस का विषय नहीं है। इस संबंध में, किसी भी अन्य साक्ष्य को देखने से पहले, यह पर्याप्त है ध्यान देने के लिए कि

अपीलार्थी की पत्नी, अभि.सा.-9 सुनीता यादव, जिसने अन्यथा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, ने स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण तथ्य बताया कि घटना के दिन, बच्चों को उसने अपीलार्थी के पास छोड़ दिया था। *उसने वास्तव में कहा कि 'घटना के दिन, मैं अपने मामा के घर गई क्योंकि मेरी नानी बीमार थी और अपने दोनों बेटों को उनके पिता/अभियुक्त के पास छोड़ गई थी'।* बाद में उसे थाने से उसके बेटों की मौत के बारे में फोन आया। इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक बच्चे अंततः केवल अपीलार्थी के ही साथ थे।

16.3. वर्तमान मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंध में, तीन स्वतंत्र गवाहों अभि.सा.-1 नरेश कौशिक, पेट्रोल पंप पर डिलीवरी बॉय के साथ-साथ अभि.सा.-4 महेश कुमार शर्मा और अभि.सा.-6 कोमल राम, जल उपचार संयंत्र में कार्मिक प्रभारी के बयान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन्होंने इन तथ्यों की गवाही दी कि अपीलार्थी ने घटना के तुरंत बाद उनसे मुलाकात की थी और विशेष रूप से उनके सामने कहा था कि उसके बेटे गलती से नहर में गिर गए थे। इन गवाहों की गवाही पर अविश्वास करने के लिए अभिलेख पर

कुछ भी नहीं है। हम यहां अभि.सा.-1 नरेश कौशिक के बयान से पहले उद्धृत कर चुके हैं और यह ध्यान देने योग्य है कि उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके कथन पर कोई संदेह उत्पन्न करे। अभि.सा.-4 एवं अभि.सा.-6 की गवाही के संबंध में भी यही स्थिति थी। वास्तव में, अभि.सा.-4 महेश कुमार शर्मा का बिल्कुल भी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया था; और अभि.सा.-6 का प्रतिपरीक्षण भी अनिवार्य रूप से एक सुझाव था जैसे कि अभियुक्त-अपीलार्थी दिए गए दिन उनसे नहीं मिला था। जब स्वतंत्र गवाहों अभि.सा.-1, अभि.सा.-4 और अभि.सा.-6 के बयानों को अपीलार्थी की पत्नी अभि.सा.-9 के बयान के साथ पढ़ा जाता है, तो न केवल मृतक बच्चों के अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ होने की परिस्थिति स्थापित होती है, बल्कि यह भी स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने की झूठी कहानी बनाने का प्रयास किया था। यह झूठी कथा, वर्तमान मामले के तथ्यों में, परिस्थितियों की श्रृंखला में एक और मजबूत कड़ी बन जाती है।

16.4. जब अभिलेख पर साक्ष्य और आसपास के कारकों द्वारा स्थापित तथ्यों को एक साथ रखा जाता है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला अचूक रूप से यह थी कि मृतक बच्चों को अंततः अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था; उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी और ज़ाहिर है, उनकी मृत्यु प्रकृति में मानव वध की थी; उनके शव नहर से बरामद किए गए थे; और अपीलार्थी ने यह पेश करने का प्रयास किया कि वे गलती से नहर में गिर गए थे। दी गई परिस्थितियों में, जब मृतक बच्चे अपीलार्थी के साथ थे, जो उनके पिता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था और जब उनकी मृत्यु हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, तो अपीलार्थी पर अपने बेटों की मृत्यु के लिए तथ्यों को स्पष्ट करने का भार, आवश्यक रूप से विद्यमान था। जिसे विशेष रूप से उसके ज्ञान में होना माना जाएगा। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत अपीलार्थी के विरुद्ध अत्यंत क्रियाशील है।

16.4.1. बेशक, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य को साबित करे, लेकिन जब वास्तव में

आवश्यक साक्ष्य को साबित किया गया था, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में अपीलार्थी पर यह समझाने का भारी भार था कि घटना के समय क्या हुआ था और मृतक की मृत्यु कैसे हुई थी। अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था और, जैसा कि देखा गया है, घटना के तुरंत बाद, उसने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने की झूठी कहानी बनाने का प्रयास किया। अपीलार्थी की ओर से भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

17. सभी तथ्यों और कारकों को एक साथ लेते हुए, केवल अपीलार्थी के अपराध की परिकल्पना की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिवत देखा और विश्लेषित किया गया है। यह स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी, यानी उद्देश्य, स्थापित नहीं किया गया है और इस संबंध में, विशेष रूप से अपीलार्थी की पत्नी अभि.सा.-9 सुनीता यादव के बयान पर भरोसा जताया गया है, जिसने अपीलार्थी और

स्वयं के तनावपूर्ण संबंधों के बारे में अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं किया था।

17.1. जैसा कि देखा गया है, उद्देश्य, जब साबित होता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है, लेकिन इसका अभाव, अपने आप में, अभियोजन मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है; हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य का अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में होता है।

17.2. हमारे विचार में, वर्तमान मामले में उद्देश्य के प्रश्न की जांच केवल अपीलार्थी की पत्नी की गवाही के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, जिसने यह स्वीकार करते हुए भी कि उसने बच्चों को अपीलार्थी के साथ छोड़ दिया है और उसके बाद केवल उनके निधन के बारे में सुना है, अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों का समर्थन नहीं करना चुना गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के कम से कम तीन गवाहों ने उसकी गवाही का खंडन किया है। उनमें से दो, अभि.सा.-7 महेंद्र कुमार यादव और अभि.सा.-8 राजेंद्र यादव जो उसके चाचा थे, जिन्होंने कहा कि अपीलार्थी और उसकी

पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और अपीलार्थी को उसकी पत्नी के चरित्र के साथ-साथ बच्चों के पिता होने पर भी संदेह था। यहां तक कि अपीलार्थी के भाई अभि.सा.-5 बिशन सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ गवाही देने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में इस तथ्य की गवाही दी कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी के संबंधों में तनाव था। यह निवेदन कि अपीलार्थी का अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध बच्चों की हत्या के लिए पर्याप्त उद्देश्य प्रदान नहीं करता है, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रस्तावित उद्देश्य यह था कि अपीलार्थी को मृत बच्चों के पिता होने पर संदेह था और शक था कि वे उसके बेटे नहीं थे।

17.3. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जब अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को असंदिग्ध रूप से साबित करता है, तो उद्देश्य से संबंधित कारक साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से आने वाले निष्कर्षों को विस्थापित या दुर्बल नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले को पूरी तरह से उद्देश्य विहीन नहीं कहा जा सकता है। अलग-अलग शब्दों में कहें तो,

हमारे विचार में, जब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लिया जाता है, तो वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी गुम थी, जिससे केवल अपीलार्थी के अपराध का निष्कर्ष निकलता है।

18. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पीड़ित बच्चों, उसके बेटों की हत्या के अपराध का दोषी है, और साथ ही सबूतों को गायब करने के अपराध का भी दोषी है। इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं प्रतीत होती है।

अपीलार्थी की मानसिक अक्षमता का अभिवचन

19. अपीलार्थी के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण एवं ठोस होने के कारण, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त-अपीलार्थी के मन की कथित अस्वस्थता का मामला बनाने का प्रयास किया है और इस संबंध में कुछ प्रतिविरोधों को विकसित किया है कि अपराध करने का इरादा अपीलार्थी पर उसकी मानसिक अस्थिरता को देखते

हुए आरोपित नहीं किया जा सकता है; और यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अनुपालन के अभाव के कारण पूरा विचारण दूषित हो जाता है।

19.1. भा.दं.सं. की धारा 84, भा.दं.सं. की धारा 86, दं.प्र.सं. की धारा 329 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 अपने उदहारण (क) के साथ, इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के संबंध में प्रासंगिकता रखते हुए, उपयोगी रूप से निम्नानुसार उद्धृत किया जा सकता है:-

भा.दं.सं. की धारा 84 व 86

"84. अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति का कार्य - कुछ भी अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो ऐसा करते समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या कि वह वही कर रहा है जो या तो गलत है या विधिविरुद्ध है।"

"86. नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता वाला अपराध।
- ऐसे मामलों में जहां किया गया कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि किसी विशेष ज्ञान या इरादे से नहीं किया जाता है, एक व्यक्ति जो नशे की स्थिति में कार्य करता है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा जैसे कि उसे वही ज्ञान था जो उसे होता अगर वह नशे में न होता, जब तक

कि वह चीज जिसने उसे नशे में डाला था उसे उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दिया गया था।"

दं.प्र.सं. की धारा 329

"329. न्यायालय के समक्ष अस्वस्थ मन स्थिति वाले व्यक्ति के विचारण के मामले में प्रक्रिया का प्रयास। - (1) यदि किसी दंडाधिकारी या सत्र न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण में, दंडाधिकारी या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का है और परिणामस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो दंडाधिकारी या न्यायालय, पहली बार में, ऐसी अस्वस्थता और असमर्थता के तथ्य का परीक्षण करेगा, और यदि दंडाधिकारी या न्यायालय, ऐसे चिकित्सीय तथा अन्य साक्ष्य पर विचार करने के बाद, जो उसके सामने पेश किया जा सकता है, इस तथ्य से संतुष्ट होते हैं, तो वह उस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही को स्थगित कर देगा।

(1-क) यदि विचारण के दौरान दंडाधिकारी या सत्र न्यायालय अभियुक्त को अस्वस्थ मस्तिष्क का पाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा, और मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जो भी मामला हो, दंडाधिकारी या न्यायालय को आख्या देगा कि क्या अभियुक्त मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित है:

बशर्ते कि यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा दंडाधिकारी को दी गई जानकारी से व्यथित है, तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है जिसमें -

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सा इकाई के प्रमुख; और

(ख) निकटतम मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा में एक संकाय सदस्य।

(2) यदि ऐसे दंडाधिकारी या न्यायालय को सूचित किया जाता है कि उप-धारा (1-क) में निर्दिष्ट व्यक्ति अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति है, तो दंडाधिकारी या न्यायालय आगे यह निर्धारित करेगा कि क्या मानसिक अस्वस्थता अभियुक्त को बचाव करने में असमर्थ बनाती है और यदि अभियुक्त इतना अक्षम पाया जाता है, तो दंडाधिकारी या न्यायालय उस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेंगे और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की जांच करेंगे और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के बाद, लेकिन अभियुक्त से पूछताछ किए बिना, यदि दंडाधिकारी या न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह विचारण को स्थगित करने के बजाय अभियुक्त को आरोपमुक्त करेंगे एवं धारा 330 के तहत प्रदान किये गए तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे:

बशर्ते कि यदि दंडाधिकारी या न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, जिसके संबंध में मन की अस्वस्थता का पता चला है, तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देंगे, जैसा कि मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक की राय में, अभियुक्त के उपचार हेतु आवश्यक है।

(3) यदि दंडाधिकारी या न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और वह मानसिक मंदता के कारण बचाव करने में असमर्थ है, तो वह विचारण नहीं चलाएंगे और अभियुक्त के साथ धारा 330 के अनुसार व्यवहार करने का आदेश देंगे।"

साक्ष्य अधिनियम धारा 105

"105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवाद है। - जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में निहित किसी विशेष अपवाद या परंतुक के भीतर या अपराध को परिभाषित करने वाली किसी विधि में मामले को लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उस पर होता है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति की अवधारणा बना लेगा।

दृष्टांत

(क) 'क', हत्या का अभियुक्त, आरोप लगाता है कि, मन की अस्वस्थता के कारण, वह इस कृत्य की प्रकृति से अवगत नहीं था।

प्रमाण का भार 'क' पर है।

* * *

* * *

* * "

20. जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में, वर्तमान अपील में दोहरी प्रस्तुतियाँ की गई हैं। एक अपराध के समय उसकी मानसिक अक्षमता के विषय में और दूसरा, विचारण की वैधता एवं विधिमान्यता के संबंध में जहां अन्वेषण अभिकरण और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की मानसिक अक्षमता से संबंधित कारकों को पेश नहीं किया गया और विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया को नहीं अपनाया। ये प्रस्तुतियाँ इन तथ्यों पर आधारित हैं कि अपीलार्थी शराब का आदी था और उसे नशामुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। यह भी रेखांकित किया गया है कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों ने सलाह के खिलाफ और उसे अपेक्षित अवधि तक पुनर्वास हेतु कोर्स पूरा किए बिना पुनर्वास केंद्र से छुट्टी दिलाई। प्रस्तुतियों में कई कमियां हैं और इन्हें

केवल वर्तमान मामले के तथ्यों में ही अस्वीकार किया जा सकता है।

21. यह अति सामान्य है कि परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के संदर्भ में अभियुक्त पर है ताकि मामले को भा.दं.सं. की धारा 84 के दायरे में लाया जा सके और जहां अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो यह साबित करने का भार कि मानसिक अस्वस्थता के परिणामस्वरूप, अभियुक्त अपने कृत्यों के परिणामों को जानने में असमर्थ था, बचाव पक्ष पर है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की उक्त धारा 105 के दृष्टांत (क) द्वारा विधिवत उदाहरण दिया गया है। जैसा कि देखा गया है, विधि का अधिदेश यह है कि न्यायालय परिस्थितियों की अनुपस्थिति को अवधारित करेगा ताकि मामले को भारतीय दंड संहिता, 1860 में किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर लिया जा सके। मन की अस्वस्थता के अभिवचन के संदर्भ में प्रमाण के भार के सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा **दहयाभाई छगनभाई ठक्कर** (उपरोक्त) के मामले में निम्नलिखित रूप से कथित किया गया था:-

"7. उन्मत्तता के अभिवचन के सन्दर्भ में प्रमाण के भार के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रतिपादना में कथित किया जा सकता है: (1) अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने अपेक्षित आपराधिक मनःस्थिति के साथ अपराध किया था, तथा विचारण के प्रारंभ से अंत तक यह साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है। (2) एक खंडन योग्य धारणा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 द्वारा निर्धारित अर्थों में, जब अभियुक्त ने अपराध किया था, वह उन्मत्त नहीं था: अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके इसका खंडन कर सकता है, लेकिन उस पर प्रमाण का भार सिविल कार्यवाही के पक्षकार से अधिक नहीं होता है। (3) भले ही अभियुक्त यह निर्णायक रूप से स्थापित करने में समर्थ न हो कि अपराध करने के समय वह उन्मत्त था, अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य से अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति सहित अपराध के एक या अधिक घटकों के संबंध में न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा हो सकता है और उस मामले में न्यायालय अभियुक्त को इस आधार पर बरी करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य का सामान्य भार नहीं छोड़ा गया था।"

22. जैसा कि देखा गया है, अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि अभियुक्त ने बच्चों की हत्या करने और सबूतों को गायब करने के

अपराध किए हैं। आसपास के अन्य कारकों से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध करने के तरीके और अपीलार्थी द्वारा झूठे आख्यानो को पेश करने के संदर्भ में आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति को साबित किया है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, मानसिक अस्वस्थता के संबंध में प्रस्तुत किए जाने पर, वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी यह स्थापित करने में समर्थ रहा है कि अपराध करने के समय वह उन्मत्त था या अभिलेख पर कुछ भी पेश किया गया है जिसके लिए आपराधिक मनःस्थिति के संबंध में एक उचित संदेह भी माना जा सकता है? हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है।

23. अभिलेख पर साक्ष्य, समग्र रूप से लिए जाने पर, अधिक से अधिक यह दर्शाता है कि अपीलार्थी शराब का आदी था और उसे नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। हालांकि, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी बिल्कुल नहीं है कि अपीलार्थी को चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में माना गया था या विधिक रूप से अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में

लिया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी की ओर से दिए गए सुझावों के विपरीत, पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक अभि.सा.-3 जगबीर की गवाही स्पष्ट और विशिष्ट थी कि केंद्र में रहने के दौरान, अपीलार्थी में कोई मानसिक बीमारी नहीं देखी गई थी और न ही उसका किसी मानसिक बीमारी के लिए इलाज किया गया था। अभि.सा.-3 ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपीलार्थी का व्यवहार 'उसके कथित प्रवास के दौरान सामान्य था और उसे कभी भी मानसिक बीमारी के लिए कोई दवा नहीं दी गई क्योंकि न तो उसमें कोई मानसिक बीमारी देखी गई थी और न ही उसके परिवार के सदस्यों ने हमें किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का कोई पूर्व इतिहास दिया।' अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने यह कहते हुए अपीलार्थी की मानसिक स्थिति के संबंध में किसी भी संदेह को दूर कर दिया कि अपीलार्थी 'हमारे केंद्र में रहने के दौरान मानसिक रूप से स्वस्थ एवं तंदुरुस्त था और उसे केवल शराब पीने की आदत की लत से मुक्ति के लिए भर्ती किया गया था।' इसलिए, अपीलार्थी का केवल शराब की लत का मामला था। प्रबंधक, अभि.सा.-3, ने निश्चित रूप से यह राय दी कि अपीलार्थी को 7 से 9 महीने की अवधि का कोर्स पूरा करना चाहिए था और परिवार के सदस्यों ने उसे

सलाह के खिलाफ छुट्टी दिला दी थी, लेकिन इस कथन का मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी को अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए था। वास्तव में, अपीलार्थी 5 महीने से अधिक की अवधि के लिए पुनर्वास केंद्र में दिनांक 20.11.2008 से दिनांक 29.04.2009 तक भर्ती रहा और जैसा कि ऊपर देखा गया है, वह कभी भी किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया ताकि उसे अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति माना जा सके।

24. यह भी देखा गया है कि मानसिक अस्वस्थता का अभिवचन और इसलिए, भा.दं.सं. सी. की धारा 84 का लाभ कभी भी विचारण में नहीं लिया गया था और न ही इस संबंध में कोई सबूत दिया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी की कथित मानसिक अक्षमता के बारे में अभियोजन पक्ष के लिए जांचे गए किसी भी गवाह को एक परोक्ष सुझाव भी नहीं दिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में, पुनर्वास केंद्र में उनके प्रवेश से संबंधित प्रश्नों और संबंधित तथ्यों पर अपीलार्थी की प्रतिक्रिया यह थी कि वे पहलू 'अभिलेख का विषय' थे। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, हम

अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं पा रहे हैं जिसके लिए भा.दं.सं. की धारा 84 का लाभ अपीलार्थी को परोक्ष रूप से भी दिया जा सके।

25. इसी तरह, ये प्रस्तुतियां कि जब अपीलार्थी की मानसिक स्थिति / मन स्थिति को अभिलेख पर लाया गया था, तो विचारण न्यायालय को किसी भी संदेह को दूर करने के लिए मूल्यांकन का आदेश देना चाहिए था, भले ही तर्क से रहित हैं।

25.1. *मंजुबेन* (उपरोक्त) के मामले में अपीलार्थी की ओर से उद्धृत गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए पाठ पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के संचालन और भा.दं.सं. की धारा 84 से इसके अंतर से संबंधित मूल बातों को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:-

"43. * * * * *

23. दूसरी ओर, दं.प्र.सं. की धारा 329, न्यायालय के समक्ष एक अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के विचारण के मामले में एक प्रक्रिया का प्रावधान करती है। धारा यह स्पष्ट करती है कि दंडाधिकारी या सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में, यदि

अभियुक्त अस्वस्थ दिमाग का प्रतीत होता है और परिणामस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो न्यायालय, पहली बार में, ऐसी अस्वस्थता और अक्षमता के तथ्य का परीक्षण करता है और यदि इस संबंध में संतुष्ट होता है, तो उस प्रभाव का एक निष्कर्ष दर्ज करेगा और आगे की कार्यवाही को स्थगित कर देगा। यह धारा दं.प्र.सं. की धारा 328 के समान है, इस अंतर के साथ कि बाद वाली धारा दंडाधिकारी के समक्ष जांच से संबंधित है, जबकि यह धारा दंडाधिकारी या सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित है। हालांकि, दोनों धाराएं जांच या विचारण के समय मानसिक अस्वस्थता से संबंधित हैं कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है। दंडाधिकारी अपनी राय पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। उनके सामने चिकित्सा अधिकारी का बयान होना चाहिए, जिसका परीक्षण किया जाना चाहिए। जहां न्यायालय निर्णय देता है कि अभियुक्त विकृत चित्त का है और परिणामस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, वहाँ विचारण को स्थगित किया जाना चाहिए। जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 330 में प्रावधान किया गया है, ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिभू दिए जाने पर रिहा किया जाना चाहिए कि उसकी उचित देखभाल की जाएगी और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से या दंडाधिकारी या न्यायालय के समक्ष आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपस्थिति से रोका जाएगा। न्यायालय या दंडाधिकारी अभियुक्त को ऐसे स्थान और तरीके से सुरक्षित हिरासत में रखने का निर्देश देने का भी हकदार है जो वह उचित समझे यदि

उनका विचार है कि जमानत नहीं ली जानी चाहिए या पर्याप्त प्रतिभू नहीं दिया गया है। इसके बाद दं.प्र.सं. की धारा 331 जांच या विचारण को पुनः प्रारम्भ करने की बात करती है, जब संबंधित व्यक्ति विकृत चित्त का नहीं रहता है। दं.प्र.सं. की धारा 332 विचारण या जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करती है जैसा भी मामला हो।

* * * * * " "

25.1.1. विकृत चित्त के अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित प्रावधानों के दायरे पर उपरोक्त विवरण बहुत अधिक बहस का विषय नहीं हैं। तथापि, उपरोक्त सिद्धांतों में से कुछ भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं थी और मुकदमे के दौरान कोई अन्य कारण सामने नहीं आया था, जिसके लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए बाध्य होता।

25.2. इसी तरह, *अजय राम पंडित (उपरोक्त)* के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में मनोचिकित्सक द्वारा अपीलार्थी की जांच करने में अन्वेषण अभिकरण की ओर से परीक्षण में दोष या विफलता के विषय में सुझाव अत्यंत अव्यावहारिक हैं। उक्त मामले में,

यह देखा गया कि जांच अधिकारी को अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद इस तथ्य के बारे में पता चला कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और वास्तव में, उसके इलाके के लोग उसे एक पागल आदमी मानते थे। वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पूरी तरह से भिन्न है।

25.3. तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों पर विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी विकृत चित्त का व्यक्ति था, चाहे वह अपराध करने के समय हो या विचारण के दौरान।

26. इसके अलावा कि विचारण न्यायालय या अन्वेषण अभिकरण की ओर से कोई गलती नहीं थी, यह भी उल्लेखनीय है कि विचाराधीन अपराधों के समय अपीलार्थी की मानसिक क्षमता की कमी के बावजूद, अपराध करने का तरीका, एक-एक करके बच्चों का गला घोटना; उनके शवों को नहर में फेंकना; अपीलार्थी का स्वयं नहर में तैरना और बाहर आना; और इसके तुरंत बाद, कई लोगों के सामने यह

कहना कि बच्चे गलती से नहर में फिसल गए थे ताकि इसे आकस्मिक रूप से डूबने के मामले के रूप में पेश किया जा सके, एक सतर्क एवं धूर्त मस्तिष्क दर्शाता है, जिसने बच्चों की मौत का कारण बनने और शवों को नहर में फेंककर सबूतों को गायब कर एक झूठे संस्करण से पथभ्रष्ट करने के विशिष्ट इरादे से काम किया था। बिना किसी तर्क के और बिना किसी आकलन के, अपीलार्थी, जिसने उपरोक्त सभी कुकर्म किए हैं, को विकृत चित्त वाला व्यक्ति कहा जा सकता है।

27. इस प्रकार, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी न तो किसी चिकित्सकीय रूप से निर्धारित मानसिक रोग से पीड़ित था और न ही उसे विकृत चित्त की विधिक विकलांगता के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए, न तो भा.दं.सं. की धारा 84 वर्तमान मामले पर लागू होती है और न ही दं.प्र.सं. की धारा 329 अपीलार्थी के बचाव में आएगी।

28. कारागार में उसके असामान्य व्यवहार के लिए अपीलार्थी के उपचार के बारे में सुझाव भी उसके मामले को आगे नहीं ले जाते हैं। जैसा कि देखा गया है, अभिलेख में

यह पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी अपराध करने के समय विकृत चित्त का व्यक्ति था या इस मामले में विचारित किए जाने पर विकृत चित्त का व्यक्ति था। जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, दोषसिद्धि पश्चात व्यवहार की शायद ही कोई प्रासंगिकता है। वास्तव में, उसकी दोषसिद्धि दोषसिद्धि असामान्यताओं, जैसा कि वर्ष 2013 में निपटा गया था, यानी, विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के लगभग दो वर्ष बाद, वर्तमान अपील के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक प्रश्नों के साथ सहसंबंध होना परोक्ष रूप से भी नहीं कहा जा सकता है। उस संबंध में भी, चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) केंद्रीय जेल संख्या 5, तिहाड़ नई दिल्ली की आख्या दिनांकित 22.07.2013 में कहा गया है कि अपीलार्थी को असामान्य व्यवहार की शिकायतों के लिए दिनांक 07.01.2013 से दिनांक 04.03.2013 तक मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और प्रमाण पत्र जारी करने के समय उसकी सामान्य स्थिति संतोषजनक थी और उसकी मानसिक स्थिति की जांच में किसी भी सकल मनोविकृति का पता नहीं चला।

29. इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया प्रतिविरोध, जिसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए प्रावधानों का लाभ दिया जाना है, स्वीकार्य नहीं है। उक्त प्रावधान किसी भी दृष्टिकोण से अपीलार्थी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करते हैं।

30. हम यह भी देख सकते हैं कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के समूह में, भले ही अपीलार्थी को अत्यधिक शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति दिखाया गया हो, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि क्या उसने नशे की स्थिति में अपमानजनक कार्य किए थे जिससे भा.दं.सं. की धारा 86 के अंतर्निहित सिद्धांतों के संदर्भ में इरादे के बारे में संदेह पैदा हो। हमें इस पहलू पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे सबूत में बिल्कुल भी पेश नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें इरादे से इनकार किया जा सके ताकि हत्या के अपराध को गैर इरादतन हत्या माना जा सके। भा.दं.सं. की धारा 304 में दोषसिद्धि को

परिवर्तित करने के सुझावों को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

31. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितियों की ठोस और विश्वसनीय श्रृंखला द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है, जो केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करते हुए, जो पीड़ित बच्चों, अपने बेटों की गला घोटकर उनकी मौत का कारण बना और शवों को नहर में फेंककर अपराध के साक्ष्य को भी गायब कर दिया। वर्तमान अपील के उद्देश्य के लिए प्रस्तुतियाँ विकसित हुईं कि अपीलार्थी को मानसिक क्षमता की कथित कमी का लाभ दिया जाए भी निराधार है और इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

32. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

बिभूति भूषण बोस
खारिज की जाती है।

याचिका

(सहायक: विनायक और केया रेबेलो, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.